www.udayindia.in,editor@udayindia.in FACEBOOK.COM/UDAYINDIAWEEKLY

Published on 01st January 2022, Released on 03rd January 2022

उदय इंडिया

वर्ष- 09, अंक-23-24 दिल्ली, जनवरी 09-15, 2022 मूल्य ₹ 30

भारतीयता का शंखनाद

नई दिशा की ओर

18 से 21

VISIT…

PRESENTING

Insignia COLLECTION

IMAGINED BY PAUL GROUP DESIGN, THAILAND

3 BED SOLITAIRE RESIDENCES ₹2.75 CR. ONWARDS*
4 BED PALACIO RESIDENCES ₹3.70 CR. ONWARDS*

THE PRESIDENTIAL TOWER
★★★★★
Next to Rajajinagar

www.thepresidentialtower.co.in

आवरण-कथा

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला

मोदी सरकार के इतने प्रोग्रेसिव फैसले पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है जिसे जानबूझकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों व बुद्धिजीवियों ने न केवल कपटपूर्वक छिपाया, बल्कि इसके उलट झूठ प्रचारित किया जाता रहा। जैसे आज भी 'फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया' के नाम पर पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी 'रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट' थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की पुस्तक 'अकबर द ग्रेट मुगल' में लिखा है कि अकबर भारत में एक विदेशी था। उसकी नसों में खून की एक बूंद भी भारतीय नहीं थी।

पेज-22

पेज-10

मालेगांव बम धमाके में...

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जब नयी जांच टीम बनायी गयी उसके बाद कांग्रेस की साजिश परत-दर-परत खुलती जा रही है साथ ही तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी नाकाम होती जा रही है। हालांकि अदालत में अभी मामला चल रहा है और लगभग सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और स्वामी असीमानंद अपने साक्षात्कारों और लेखों के माध्यम से मालेगांव बम धमाके में हिरासत में रखे जाने के बाद उन पर जो अत्याचार किये गये थे उसका दर्द बयान कर चुके हैं।

पेज-36

बिना एकीकृत स्वास्थ्य के महामारियां चुनौती देती रहेंगी

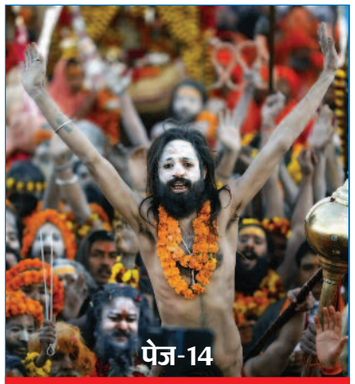
पेज-14

हिन्दू देह है और हिन्दुत्व उसकी आत्मा

पेज-18

प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का बढ़ता...

ऑनलाइन गेम : घातक लत

पेज - 44

स्थायी स्तंभ

संपादकीय	07
राष्ट्र-चिन्तन	08
प्राकृतिक जीवनशैली	50

Published on 01st January 2022
Released on 03rd January 2022
Total No. of Pages+Covers = 52

नए भारत का नया लेबर कोड पेज-12

श्रीराम शरणम् , श्याम शरणम्, श्री हनुमते नमः

उदय इंडिया

www.udayindia.in

संपादकीय निर्देशक- प्रकाश नंदा
संपादक - दीपक कुमार रथ
समाचार संपादक - अशोक कुमार
उपदेष्टा - स्वदेशपाल गुप्ता, एच. आर. नागेन्द्र, सोहन लाल कडेल, नंद किशोर शर्मा, श्रीकृष्ण मुदगिल
सलाहकार संपादक - डॉ. विजय खैरा, राहुल कश्यप
ब्यूरो प्रमुख - निर्मल जैन
संवाददाता - महेन्द्र राउत (सूरत), सुदर्शन छोटराय (भुवनेश्वर), दिनेश जिंदल, मनीष शाह (अहमदाबाद), सतीश शर्मा (भुवनेश्वर)
कला निर्देशक - कुन्दन कुमार सिंह
छायाकार - सुभाष कुमार शर्मा

मैनेजर (कॉम्युनिकेशंस एंड पीआर) - संगीता बिष्ट
कार्यालय - बी-84, वेस्ट विनोद नगर, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
फोन नं.- 011-46102483, +918800396718
+918800396719
ईमेल- editor@udayindia.in
बंगलूरू कार्यालय - नं.-11, द्वितीय तल, के.एस.वी. कॉम्पलेक्स, मिलर्स रोड, बंगलूरू-560052, फोन नं.- 080-41472201-02, फैक्स - 08022201704
हैदराबाद कार्यालय - कडेल मार्केटिंग प्रा. लि.,401, मोगल कोर्ट, बशीर बाग, हैदराबाद-500001, फोन नं.-040-23237563, +91-9849033200
अहमदाबाद कार्यालय - एफ - 204, अनुराग अवास, आई.ओ.सी. पैट्रोल पम्प के पास, मेम नगर, अहमदाबाद
जयपुर कार्यालय - 128, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान फोन नं.-09649939888
विज्ञापन के लिए - 011-22479306/07, 8800396719, 8800396718

प्रकाशक, मुद्रक तथा संपादक - दीपक कुमार रथ द्वारा ई-256, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-92 से प्रकाशित एवं एमपी प्रिंटर्स, बी 220, फेज 2, नोएडा, यूपी से मुद्रित; स्वामी - उपाली अपराजिता रथ
सर्वाधिकार सुरक्षित, आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

पाठक की ओर से...

मोदी की प्रेरणा

यह संजोग ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के गुजरात से ही आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में तीन लोकन ते न्यारी काशी की नुमाइंदगी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बनारस और गांधी से जुड़ी इन घटनाओं को नहीं जानते होंगे। तो क्या काशी विश्वनाथ कारीडोर के विकास की कहानी को बनारस से जुड़े गांधी के इन ऐतिहासिक अनुभवों से जोड़ा जा सकता है? क्या बाबा विश्वनाथ के ऐतिहासिक मंदिर के पुनरूद्धार और उसे चमाचम बनाने के लिए मोदी को प्रेरणा गांधी के इन अनुभवों से ही मिली। इसकी संभावना तो बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर हर मौके पर गांधी को याद करते हैं। गांधी जयंती के ही दिन साल 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की खुद फावड़ा उठाकर शुरूआत की थी।

स्वाति सिंह, *दिल्ली*

तिलस्मी संसार का कहर

आजकल ज्यादातर बच्चों को मूड स्विंग की समस्या रहती है, वे असंतुलित मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं। वे पल भर में खुश, तो दूसरे ही पल चिड़चड़े, तनावग्रस्त व मायूस हो जाते हैं। दरअसल, मूड स्विंग का एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल का अधिक इस्तेमाल है। जो बच्चे स्मार्टफोन पर हमेशा अलग-अलग तरह की एप्लिकेशन ट्राई करने में बिजी रहते हैं। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण स्कूली शिक्षा ऑनलाइन हुई तो अभिभावकों ने छोटे-छोटे बच्चों को स्मार्टफोन थमा दिये और वे इंटरनेट की दुनिया एवं इंटरनेट गेमों से जुट गये। ये गेम एवं इंटरनेट की बढ़ती लत बच्चों में अनेक विसंगतियों, मानसिक असंतुलन, विकारों एवं अस्वास्थ्य के पनपने का कारण बनी है, यह आदत बच्चों को एकाकीपन की ओर ले जाती है। बच्चे धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई और सामाजिक हकीकत से दूर होकर आभासी दुनिया के तिलिस्मी संसार में रमते जा रहे हैं। यह नये बनते समाज के लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है।

किशन पल, *लखनऊ*

सांसदों की गैरहाजिरी

सांसदों की उपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर तीखे तेवर में दिखे। इस मुद्दे पर वे बहुत सख्त है और इस विषय को लेकर उन्होंने सांसदों को चेताया भी है और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिये इसे प्राथमिक आवश्यकता बताई। वे समय-समय पर सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहते रहते हैं। कुछ दिनों तक उनकी चेतावनी का असर दिखता है लेकिन फिर सांसद उपस्थिति के मामले को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिये शीतकालीन सत्र के प्रारंभ में भाजपा की संसदीय बैठक में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सदन में उपस्थिति के मसले पर सांसदों को सलाह दी है, लेकिन उनकी बातें सभी दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए अहम एवं एक अनिवार्य सीख एवं लोकतांत्रिक आवश्यकता मानी जानी चाहिए। बात चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो या विधानसभाओं एवं अन्य लोकतांत्रिक सदनों की हो। जानबूझकर अनुपस्थित रहना भी वीवीआईपी संस्कृति की एक त्रासदी रही है, ऐसी त्रासदियों से मुक्ति दिलाने में मोदी ने सार्थक प्रयत्न किये हैं।

अनुज मिश्रा, *भोपाल*

PSRI HOSPITAL

A Multi-speciality Healthcare Institute

Where Patients come first

Super Specialities at PSRI

SPECIALISED MEDICAL CARE FROM A TEAM OF SUPER SPECIALIST PHYSICIANS & SURGEONS

GASTROENTEROLOGY
Upper and Lower GI Endoscopies, ERCP, Capsule Endoscopy, Enteroscopy, all advanced non surgical endoscopic procedures

G.I. SURGERY
Surgeries of Liver, Pancreas, Stomach and Cancer Surgeries

NEPHROLOGY
Heamodialysis, Peritoneal dialysis and CRRT for multi organ failure
World class Kidney Transplant Programme

UROLOGY
Laparoscopic Laser surgeries for prostate and kidney stones, management of Congenital kidney disorders and advanced Reconstructive surgeries

- General Medicine
- General surgery
- Gynecology
- Diabetology
- Preventive Cardiology
- Chest Medicine
- Pain Management
- ENT
- Neurology
- Nutrition and Dietetics

- LATEST BLOOD BANK FACILITY
- WORLD CLASS MEDICAL & SURGICAL ICUS
- STATE-OF-THE-ART RADIOLOGY SERVICES

PUSHPAWATI SINGHANIA RESEARCH INSTITUTE (PSRI)
Press Enclave Marg, Sheikh Sarai II, New Delhi- 110017
Ph: 91-011-30611700, 30611900, 30611999, 29252516, Fax: 91-011-29250548
E-mail: info@psri.net | Web: www.psri.net

NABH ACCREDITED HOSPITAL

खुशियों की शुरुआत
और ज़िन्दगी भर का साथ
एलआईसी का
नया
जीवन
आनंद
UIN: 512N279V01
PLAN NO:815
LIC/06/16-17/78/HIN
परिपक्वता पर पूर्ण भुगतान और
उसके बाद आजीवन बीमा-सुरक्षा
का दोहरा लाभ लीजिए
• न्यूनतम मूल बीमा राशि : ₹1,00,000
• आयु योग्यता : 18-50 वर्ष
• अधिकतम परिपक्वता आयु : 75 वर्ष
• ऋण सुविधा उपलब्ध
• दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राईडर उपलब्ध
हमें फॉलो करें : YouTube LIC India Forever
अपने एजेन्ट/शाखा से सम्पर्क करें या हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें
या SMS करें 'आपके शहर का नाम', 56767474 पर (जैसे कि 'MUMBAI')
नकली फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जनता को स्पष्ट करता है • आईआरडीएआई या इसके अधिकारी किसी प्रकार के इंश्योरेन्स या फायनान्शियल प्रोडक्ट्स की बिक्री जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं और न ही प्रीमियम का निवेश करते हैं • आईआरडीएआई द्वारा किसी बोनस की घोषणा नहीं की जाती है. अगर किसी को ऐसे कोई फोन कॉल्स प्राप्त हों तो कृपया ऐसे फोन कॉल के नंबर के विवरण के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
IRDAI Regn No.:512
हर पल आपके साथ

सम्पादकीय ■ दीपक कुमार रथ

गडकरी का विकसित भारत

मैं अपने सभी संरक्षकों और शुभचिंतकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साल 2021 हमारे लिए कई आश्चर्य, दुख और खुशियां भी लेकर आया। महामारी फिर से वापस आ गई है। दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें हमारे जेहन में आज भी ताजा हैं। कई परिवारों ने अपने रोटी कमाने वालों को खो दिया, व्यापार और उद्योग क्षेत्र, जो दूसरी लहर के बाद ठीक होने के लिए तैयार हो रहे थे, वे फिर से लॉकडाउन से सहमे हैं। फिर से भारत में महामारी का डर वापस आ गया है और यह अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में गंभीर है। समय ही बताएगा कि हमारी सरकार विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र घातक महामारी के प्रकोप का सामना करने के लिए कितने तैयार है। उम्मीद है कि पिछली बार की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोगों की मौत नहीं होगी। अमीर लोग कॉरपोरेट अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं लेकिन उनका क्या जो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं आते हैं? यह आम आदमी है जिसे सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। दूसरी लहर से पहले, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान हमारे राजनेताओं ने चुनावी रैलियां की। और अब तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हजारों लोग राजनीतिक रैलियों में इकट्ठा होते हैं। ऐसे में रात के कर्फ्यू, शिक्षण संस्थानों, मॉल्स को बंद करने, विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लगाने और नए साल के जश्न मनाने पर प्रतिबन्ध का क्या मतलब है? अंततः आम आदमी को नुकसान होगा, और राजनेता घड़ियाली आंसू बहाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इसे रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर रैलियों के जरिए वायरस फैलाने से बचना चाहिए। अब सभी पार्टियां तकनीक का उपयोग करके जमीन से फीडबैक लेने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, तो वे प्रचार अभियान के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? मतदाताओं को अपने संदेश देने के लिए बड़े पैमाने पर सभाओं के बजाय प्रसारण मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी इसे नहीं सुनेगा, और लोग पागल दौड़ में शामिल हो जाएंगे, और अंत में, हमारे देश को भुगतना होगा।

इस बार हिंदी संस्करण में, हमारी कवर स्टोरी शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने पर है। इस सन्दर्भ में सरकारी टास्क फोर्स की सिफारिशें डॉक्टरों की राय पर आधारित हैं कि पहले बच्चे के जन्म के समय महिला की आयु कम से कम 21 वर्ष की होने चाहिए। टास्क फोर्स ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शादी में देरी से परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज पर सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उसकी रिपोर्ट पचास से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। अंग्रेजी संस्करण में, हमने बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, प्रदूषण को कम करने और हवा, पानी और रेलवे नेटवर्क के लिए योजनाबद्ध तरीके से परिवहन प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस पृष्ठभूमि में, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सलाम करना चाहिए, जो हमारे चमकते राष्ट्रीय राजमार्गों को संभव बना सके, राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रमुख शहरों से जोड़ सके, यात्रियों को प्रदूषण मुक्त और जाम मुक्त रोड प्रदान कर सके। गडकरी ने रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों सहित लगभग सोलह विभागों के साथ मजबूत समन्वय कायम किया , साथ ही रेलवे के साथ नदियों पर तीन स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया, जिनका उपयोग रेलवे, मेट्रो और अन्य वाहन कर सकेंगे। यह गडकरी की दूरदृष्टि थी की राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना बनाते समय, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर को साथ-साथ स्थापित करने की योजना बनाई, ताकि सड़कें फिर से खोदी न जाएं। वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जैव ईंधन लाने, भारत को ई-वाहनों का विनिर्माण केंद्र बनाने और निकट भविष्य में कच्चे तेल के आयात को कम करने में व्यस्त हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लंबे खंडों के माध्यम से ऑटोमोबाइल उद्योगों में अधिक रोजगार सृजन और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष आय प्रदान करने का विश्वास है। उन्होंने नागपुर में इथेनॉल आधारित सिटी ट्रांसपोर्ट बसें शुरू कीं और उन्होंने निवेशकों को महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जैव-ईंधन निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और अधिक लिथियम बैटरी विकसित करने के लिए डीआरडीओ और आईआईटी के समन्वय में मजबूत शोध कार्य किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए बाहरी रिंग रोड के साथ सभी गोदामों को जोड़ने की उनकी योजना एक शानदार विचार है, क्योंकि बड़े परिवहन वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। आउटर रिंग रोड के साथ रेलवे ट्रैक बनाने की उनकी योजना भी काबिले तारीफ है। उन्होंने भारत के परिवहन क्षेत्र को सचमुच में एक विश्व स्तरीय क्षेत्र में बदल दिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। श्री गडकरी को सलाम, जिन्हें मैं एक ऐसा व्यक्ति कह सकता हूं, जिनके पास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की महान दृष्टि है।

लखनऊ बनाम अयोध्या और विकृत सेकुलरवाद

उमेश उपाध्याय

नूर मोहम्मद बड़े चाव से हमें एक के बाद एक लखनऊ के स्थल दिखा रहे थे। बड़ा इमामबाड़ा, भूल-भुलैया, तीले वाली मस्जिद, रूमी दरवाजा, पिक्चर गैलरी, सतखंडा, घंटाघर, आसिफी मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा आदि। हमें अपने इ-ऑटोरिक्शा में बिठाकर एक इमारत से दूसरी इमारत तक ले जाते हुए उसकी खासियत बताते जाते थे। कैसे रूमी दरवाजा एक तरफ से महल और दूसरी तरफ से दरवाजा लगता है, तथा क्यों चार मंजिल वाली इमारत सतखंडा कहलाती है इत्यादि। खास लखनवी बतकही अंदाज में बात करने वाले नूर हमारे गाइड भी थे और उस छोटे से कोई आधा किलोमीटर इलाके में घुमाने वाले वाहन चालक भी।

इसी हफ्ते की बात है। मैं और पत्नी सीमा अयोध्या से लौटते हुए लखनऊ की सैर पर थे। इ-रिक्शा के साथ ही घोड़ा गाड़ी भी चल रही थी तो कार भी। इस सबके बीच हुसैनाबाद कहे जाने वाले इस इलाके में कोविड टीकाकरण का कैंप भी चल रहा था। जहां बड़ी बेतकल्लुफी से बहुत सी औरतें भी टीकाकरण की कतार में थीं। जिनमें बुर्केवाली औरतों की संख्या अधिक थी। जहां-तहां चिपके पोस्टर गवाही दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक ही हैं।

लखनऊ का ये छोटा सा इलाका जहां ये पुरानी इमारतें हैं, काफी साफ-सुथरा था। यहां की सड़क भी कोलतार की जगह इमारतों के रंग के मिलेजुले पत्थर से बनी हुई थी। अच्छी लाइटिंग थी। पार्किंग भी व्यवस्थित थी। आमतौर से देश के शहरों के पुराने इलाकों के मुकाबले बहुत ही करीने से सजा-संवरा इलाका था। बातों बातों में हमने नूर-मोहम्मद से पूछा कि 'आपका इलाका तो बड़ा बेहतर दिखता है भाई?'

तो नूर ने तपाक से जबाव दिया, 'अखिलेश (यादव) ने पिछली बार इसे बनवाया था। अगर वो (मुख्यमंत्री) बने रहते तो इसे और भी खूबसूरत बना देते।'

उनका ये उत्तर सुनते ही मेरा ध्यान अयोध्या की ओर चला गया जहां से हम पिछले ही रोज लौटे थे। अयोध्या में हमने निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर का स्थान देखा था। पावन सरयू के दर्शन किये थे। हम हनुमान गढ़ी, जनक महल, राम की पैड़ी, फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के मंदिर और गुप्तार घाट गए थे। दशरथ किला, सुग्रीव किला और वहां के अन्य कई प्राचीन और जर्जर होते हुए मंदिरों की इमारतों को भी देखा था।

नूर मोहम्मद के जबाव से एक सवाल मन में कौंधा जिसका उत्तर पाना जरूरी है। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते नबाव आसफ उद्दौला की बनाई इमारतों के आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण किया तो उसे साम्प्रदायिक नहीं कहा गया था। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुप्तार घाट व अयोध्या में अन्य स्थानों पर किये जाने वाले विकास कार्य को कई लोग साम्प्रदायिक कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? राम की पावन भूमि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण क्यों कर साम्प्रदायिक हो सकता है? उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बनाये जा रहे मंदिर का विरोध क्यों?

मान लिया कि राम मंदिर का मामला अदालत में था इसलिए पहले की सरकारें उस मामले में कुछ नहीं कर सकतीं थी। पर अयोध्या में तीर्थयात्रियों को सामान्य सुविधाएं देने में अबतक की सरकारों को क्या परेशानी थी? ये सही है कि अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है एवं अन्य निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे है। लेकिन वहां जाकर लगा कि किस तरह तीर्थयात्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानकर इतने लम्बे समय त उनकी उपेक्षा की गयी। वहां के गली कूंचों की हालत देख कर मन में गहरी क्लान्ति और पीड़ा हुई। अधिकतर प्राचीन मंदिर जर्जर हालत में हैं। क्या तीर्थयात्रियों के लिए आवास, साफ-सफाई, शौचालय, स्नानागार और परिवहन की बेहतर व्यवस्था इसलिए नहीं की गई क्योंकि

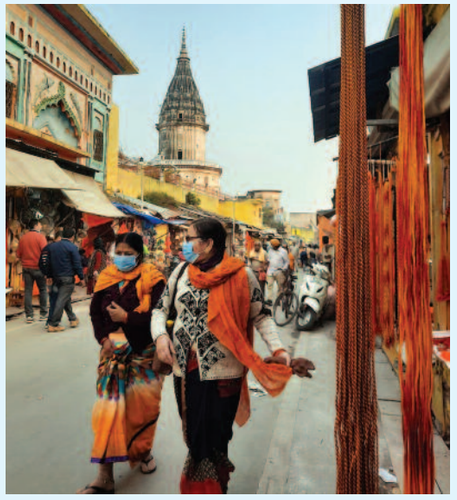

विकृत और छद्म सेकुलरवाद का कीड़ा इन्हें इतने भीतर तक काट गया है कि ये पूरे समाज को बस साम्प्रदायिकता और सेकुलरवाद के चश्मे से ही देखते हैं। ये सावरकर और गांधी को ही खांचों में बांटकर सीमित नहीं रह जाते। इनके लिए तो हमारी हर विरासत, हर धरोहर, इतिहास की हर घटना और हर परम्परा इसी नजरिये की गुलाम है। इन भाई लोगों ने तो हमारे महान साहित्यकारों तक को नहीं छोड़ा।

ऐसा करने से कुछ दलों का सेकुलरवाद खतरे में पड़ जाता?

आप रामजी को भगवान नहीं मानते तो न माने, ये आपकी मर्जी है। पर राम के नाम पर जो लोग अयोध्या में आते रहे हैं उन्हें तीर्थयात्री न समझकर पर्यटक ही मान लेते तो आपका क्या घिस जाता? हालत तो ये है कि पिछले 75 वर्षों में राम की नगरी के लिए दिल्ली से आपने एक ढंग की ट्रेन तक नहीं शुरू की है। कोई ढंग का बाजार तक सूर्यवंशी राजा राम की नगरी में नहीं है। रहने तक के लिए आपको फैजाबाद शहर में जाना पड़ता है क्योंकि कोई पर्यटकों के लिए को ठीकठाक आवासीय व्यवस्था अयोध्या नगरी में नहीं है। यह कैसी विचारधारा और कैसी राजनीति है जो रामभक्तों को देश के आम नागरिकों को मिल रही सामान्य सेवाओं से भी वंचित रखती है? और अब जब मौजूदा केंद्र व राज्य सरकार अयोध्या के पुनरोद्धार के लिए काम कर रही है तो आप उसे साम्प्रदायिक बताकर सेकुलरवाद के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं?

सवाल नूर मोहम्मद के अनायास उत्तर से पैदा हुए ख्याल मात्र का नहीं हैं। ये सवाल आज भारत की राजनीति ही नहीं समूचे सामाजिक जीवन का सबसे प्राथमिक और मूल प्रश्न है। सेकुलर और साम्प्रदायिक होने का मनमाना प्रमाण पत्र बांटने वालों की एक बड़ी जमात आजादी के बाद खड़ी हो गई है। ये कथित बुद्धिजीवी अपनी राजनीतिक/वैचारिक पसंद और सुविधा के अनुसार किसी को भी साम्प्रदायिक और किसी को सेकुलर बता देते हैं।

विकृत और छद्म सेकुलरवाद का कीड़ा इन्हें इतने भीतर तक काट गया है कि ये पूरे समाज को बस साम्प्रदायिकता और सेकुलरवाद के चश्मे से ही देखते हैं। ये सावरकर और गांधी को ही खांचों में बांटकर सीमित नहीं रह जाते। इनके लिए तो हमारी हर विरासत, हर धरोहर, इतिहास की हर घटना और हर परम्परा इसी नजरिये की गुलाम है। इन भाई लोगों ने तो हमारे महान साहित्यकारों तक को नहीं छोड़ा। इसी संकीर्ण, विघटनकारी और संकुचित मानसिकता के चलते इन कथित ठेकेदारों ने तुलसी और कबीर को भी बांट दिया है। कितना हास्यास्पद है कि इन्होंने कबीर को सेकुलर और तुलसी को साम्प्रदायिक घोषित किया हुआ है।

इनके लिए तो गांधी के राम और अयोध्या के राम भी अलग अलग हैं। समाज को बांटने की कोई मानसिकता है तो यही कथित सेकुलर मानसिकता है। इसी के नाम पर तुष्टीकरण और उससे उत्पन्न दुष्चक्र पूरे भारत को सालों से हिंसा, विघटन और राजनीतिक विद्वेष की भट्टी में झोंकता रहा है। लखनऊ की सड़कों और अयोध्या के गली कूंचों में जिस दिन ये लोग फर्क करना बंद कर देंगे उसी दिन ये भारत के असली रूप को पहचानेंगे अन्यथा दीवार पर लिखी इबारत तो साफ है ही।

■■■

मालेगांव बम धमाके में सेकुलर ताकतों की साजिशें हुई बेनकाब

मालेगांव बम धमाकों में योगी आदित्यनाथ को फंसाने की थी साजिश?

मृत्युंजय दीक्षित

महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ बम धमाका एक सुनियोजित राजनैतिक साजिश का एक बहुत ही बड़ा और घटिया हिस्सा था जो अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन बेनकाब हो रहा है और साथ ही धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले भी बेनकाब हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल हिंदू बनाम हिंदुत्वादी का राग अलापकर उसकी आड़ में सनातन हिदू संस्कृति पर चोट पहुंचा रहे हैं। मालेगांव प्रकरण से उठ रहे पर्दों से यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व का मुददा साजिश के तहत ही उठाया है। वास्तविकता यह है कि मालेगांव बम धामके के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संत समाज को बदनाम करने की जो साजिश रची गयी थी वह अब खुलकर सामने आ रही है।

यूपी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ही मालेगांव बम धमाके का 15वां गवाह भी मुकर गया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटर साइकिल पर बंधा बम फटने से छह लोगों की मौत हो गई थीं और 100 से अधिक लोग घायल हो गये थे। पूरे मामले की जांच चल रही है और मामला अदालत में भी चल रहा है। अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने मुंबई की एक विषेष अदालत को बताया कि उसे महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते को एक बयान देने के लिए परेशान किया गया था। गवाह ने अदालत में कहा कि, 'एटीएस ने जबरदस्ती मुझे घर से उठा लिया और अवैध रूप से हिरासत केंद्रों में रखा, मुझे व मेरे परिवार को परेशान किया गया। वे मुझे कई दिनों तक धमकी दे रहे थे और दबाव डाल रहे थे कि अगर मैं संघ नेताओं के नाम नहीं लेता तो मुझे रिहा नहीं किया जायेगा और मेरी पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक नही छोड़ेंगे जब तक

योगी आदित्यनाथ

इंद्रेश कुमार

स्वामी असीमानंद

आप संघ के पांच सदस्यों योगी आदित्यनाथ, स्वामी असीमानंद, इंद्रेश कुमार, काकाजी और देवधरजी के नाम नहीं लेते। केस में अब तक अभियोजन पक्ष के 400 गवाहों में से केवल 140 का ही परीक्षण किया गया है और अभी तक 15 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं।

जैसा कि स्वाभाविक था, गवाह का बयान सामने आते ही राजनीति भी शुरू हो गयी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इसे संघ और हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए यूपीए शासन द्वारा रची गई साजिश कहा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब अगर कोई आकर कहता है कि सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह या सुशील शिंदे, राहुल और प्रियंका इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो वह गलत है। सच्चाई तो यह है कि इसमें पूरी कांग्रेस शामिल थी। वे सभी दल जो इसके गठबंधन में शामिल थे वे भी साजिश में शमिल थे और समान रूप से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि यह तब भी साबित हुआ था और आज फिर हुआ है। उन सभी को माफी मांगनी चाहिए। यह धमाका रमजना के पवित्र माह में हुआ था जिसका लाभ उठाकर तत्कालीन सरकार ने अपना सेकुलर चेहरा दिखाने के लिए हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए साजिश रच दी। इस मामले में भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिह ठाकुर, स्वामी असीमानंद और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाय गया था। एनआईए की विशेष अदालत ने जून 2016 में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन यह मामला सदा पूरी तरह से संदेह के घेरे मेंही रहा।

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जब नयी जांच टीम बनायी गयी उसके बाद कांग्रेस की साजिश परत-दर-परत खुलती जा रही है साथ ही तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी नाकाम होती जा रही है। हालांकि अदालत में अभी मामला चल रहा है और लगभग सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और स्वामी असीमानंद अपने साक्षात्कारों और लेखों के माध्यम से मालेगांव बम धमाके में हिरासत में रखे जाने के बाद उन पर जो अत्याचार किये गये थे उसका दर्द बयान कर चुके हैं।

इस प्रकरण में गवाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिया है तो उप्र के राजनैतिक गलियारे में भी यह मामला पूरे जोर-शोर से उठ रहा है। सभी विरोधी दलों को गवाह का यह बयान आने के बाद मिर्ची लग गयी है और कह रहे हैं कि आगामी चुनावों के पहले इस प्रकार का बयान बाहर आना यूपी में योगी जी को लाभ पहुंचाने के लिये किया जा रहा एक प्रयास है। सेकुलर ताकतों का कहना है कि भाजपा इस बयान से राजनैतिक बढ़त प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। एआईएम के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल-ए-खलीफ ने गवाह के दावे को सच्चाई से परे और राजनीति से प्रेरित बताया है। खलीक ने कहाकि पांच राज्यों के आगामी चुनावों के मददेनजर और 14 वर्षों के बाद इस गवाह को समाने लाया गया है। गवाह का यह दावा कि उसे योगी आदित्यनाथ और संघ के अन्य सदस्यों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था राजनीति से प्रेरित नजर आता है।

इस मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने अपने कई साक्षात्कार व लेखों के माध्यम से मालेगांव धमाकों की साजिश व जांच एजेंसियो के कारनामों को उजागर किया जो काफी सनसनीखेज रहे हैं। वह बताती रही है कि किस प्रकार से तत्कालीन सरकार की जांच एजेसियो ने उन्हें हिरासत में रखने के दौरान प्रताड़ित किया था। इसी प्रकार स्वामी असीमानंद को भी फंसाने का काम किया जाता रहा लेकिन अब असीमानंद सभी आरोपों से बरी भी हो चुके हैं। अब जब गवाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है कि, 'इस धमाके में उनका नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था' का भाजपा को कितना राजनैतिक लाभ आगामी चुनावो में मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। ■■■

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जब नयी जांच टीम बनायी गयी उसके बाद कांग्रेस की साजिश परत-दर-परत खुलती जा रही है साथ ही तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी नाकाम होती जा रही है। हालांकि अदालत में अभी मामला चल रहा है और लगभग सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

नए भारत का नया लेबर कोड

रंजना मिश्रा

वर्षों से चले आ रहे नौकरी के तौर-तरीके बदलने वाले हैं। केंद्र सरकार जल्द ही नए लेबर कोड को लागू करने जा रही है। नए साल 2022 में ये नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। नया लेबर कोड लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और उनके काम के घंटे भी बदल जाएंगे। अब कर्मचारियों की छुट्टी हफ्ते में दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से तय होगी। इस नए कानून के तहत काम को घंटों के हिसाब से निर्धारित किया गया है। नया लेबर कोड लगने के बाद हफ्ते में दो की बजाय तीन छुट्टियां भी मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए काम ज्यादा करना होगा। इसमें ओवरटाइम का भी प्रावधान रखा गया है। नए लेबर कोड के तहत रोजाना काम करने के अधिकतम समय को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हफ्ते में कुल मिलाकर 48 घंटे ही काम करना होगा। यानी रोज आठ घंटे काम करने पर सप्ताह में छ दिन काम करना होगा। लेकिन अगर कोई रोज 12 घंटे तक काम कर सकता है तो उसे सिर्फ चार दिन ही काम करना पड़ेगा और उसे तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी अगर कंपनी चाहे तो इस तरह व्यवस्था भी कर सकती है कि कर्मचारी से हफ्ते में सिर्फ 4 दिन 12-12 घंटे काम करवा ले और बाकी 3 दिन छुट्टी दे दे। नए कानून के तहत अगर कोई अपनी शिफ्ट से 15 से 30 मिनट से ज्यादा काम करता है तो उसे 30 मिनट गिन कर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। यानी कर्मचारी को 15 मिनट भी अतिरिक्त काम करने पर ओवरटाइम दिया जाएगा। उस कर्मचारी की सैलरी के हिसाब से 30 मिनट की सैलरी का कैलकुलेशन करके उसे वो पैसे मिलेंगे। मौजूदा समय में जो नियम हैं, उनके चलते 30 मिनट ज्यादा काम करने को ओवरटाइम नहीं माना जाता है। नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से पांच घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकता है। पांच घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक देना होगा।

दरअसल लंबे समय तक लगातार काम करने से कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्यादा वर्किंग आवर होने से नींद कम आना, खान-पान की अनियमितता आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण भी कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पांच घंटे के बाद ब्रेक मिलने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। उनके ऊपर काम के बोझ का जो दबाव रहता है, वो कुछ कम होगा तथा उनका शरीर व दिमाग फ्रेश होकर दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और प्रोविडेंट फंड की गणना का भी तरीका बदलेगा। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में हर महीने योगदान बढ़ जाएगा। दरअसल पीएफ का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलेरी पर निर्भर करता है। मौजूदा समय में कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा बहुत कम रखती हैं। कर्मचारियों की सैलरी का अधिकतम हिस्सा तमाम तरह के अलाउंस होते हैं। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी का हिस्सा कम से कम 50 फीसदी होना चाहिए। बेसिक सैलरी अधिक होगी तो कर्मचारियों का पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा। वही अलाउंस कम होने की वजह से कर्मचारियों की इन हैंड सैलेरी कम हो जाएगी।

सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर चार नए कोड बनाए हैं, जिनमें वेज और सोशल सिक्योरिटी के कोड भी शामिल हैं। इन चार लेबर कोड में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता, और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। इसमें वेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है। यह परिभाषा चारों लेबर कोड में एक ही तरह की है, इसका कर्मचारियों पर व्यापक असर होगा। नए कोड्स में बेसिक पे, डीए, रीटेनिंग और स्पेशल भत्तों को वेज में शामिल किया गया है। एचआरए, कनवेंस, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस और कमीशंस को इससे बाहर रखा गया है। नए नियम के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगर ये 50 फीसदी से अधिक होते हैं तो ज्यादा राशि को वेज का

सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर चार नए कोड बनाए हैं, जिनमें वेज और सोशल सिक्योरिटी के कोड भी शामिल हैं। इन चार लेबर कोड में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता, और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। इसमें वेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है। यह परिभाषा चारों लेबर कोड में एक ही तरह की है, इसका कर्मचारियों पर व्यापक असर होगा।

हिस्सा माना जाएगा। उदाहरण के लिए पहले ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के हिसाब से होती थी, लेकिन अब यह वेज के हिसाब से मिलेगी। कर्मचारियों का सीटीसी वही रहेगा, जो अभी है लेकिन उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और स्पेशल अलाउंस घट जाएगा। फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों पर कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेच्युटी अनिवार्य हो जाएगी। हाई सैलेरी और मिड सैलरी ग्रुप में कंपनियों पर कम बोझ पड़ेगा, लेकिन लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30 फीसदी बढ़ सकता है। इससे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट प्रभावित हो सकता है। यानी इन चार लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों को तो फायदा होगा, लेकिन कंपनियों का बोझ कुछ बढ़ सकता है, जिन कंपनियों में स्पेशल अलाउंस की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सैलरी स्ट्रक्चर बदल कर उसे इस तरह बनाया जाएगा कि कंपनियों को नुकसान ना हो।

बड़ी संख्या में कई राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संस्थाओं के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन लेबर के समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से केंद्र सरकार इसको राज्यों के साथ लागू करना चाहती है। व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थित पर लेबर कोड के मौजूदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। मजदूरी पर लेबर कोड के मसौदा नियमों को 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने तैयार कर लिया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड्स के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने तैयार कर लिया है।

नए कानून से कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी न्यू वेज कोड लागू होगा। हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी। कंपनियों को उनके पीए दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार ने नए नियमों को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि इससे कर्मचारियों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे और कंपनियां किसी भी तरह से कर्मचारियों का शोषण न कर सकें। अभी बहुत से राज्यों ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। केंद्र और राज्य दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा तभी संबंधित राज्यों में ये कानून लागू हो पाएंगे। सरकार इसे जल्द लागू करके कंपनियों और प्रतिष्ठानों को इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ समय देना चाहती है। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कंपनियां इसका विरोध कर रही थीं। हालांकि नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।

हिन्दू देह है और हिन्दुत्व उसकी आत्मा

हिन्दू और हिन्दुत्व-- दोनों संज्ञा शब्द हैं। 'हिन्दू' जातिवाचक संज्ञा है जो एक जाति-धर्म विशेष में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों का बोध कराती है। यह संज्ञा हिन्दू परिवार में जन्म होते ही व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है और तब तक बनी रहती है जब तक वह किसी विशेष कारणवश स्वयं इस का त्याग नहीं कर देता है।

डॉ. कृष्णगोपाल मिश्र

आजकल हिन्दू और हिन्दुत्व में अंतर की चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता ने राजस्थान की एक सभा में हिन्दू और हिन्दुत्व को लेकर जो ज्ञान दिया उसे सुनकर बड़े-बड़े विद्वान और भाषाविद् भी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि इससे पहले इन शब्दों की ऐसी ज्ञानगर्भित व्याख्या कभी पढ़ने-सुनने में नहीं आयी। ऐसा लगता है कि हमारे विकासशील देश में राजनीति के साथ-साथ भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों पर कुछ भी बोलने का एकाधिकार हमारे नेताओं ने अपने पक्ष में सुरक्षित कर लिया है। अब इन विषयों के विद्वानों की आवश्यकता नहीं रही। सारे विषय राजनीति के स्वार्थ के सागर में समा गए हैं और अब जो राजनेता कहें वही अंतिम सत्य है।

आश्चर्य का विषय है कि व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व को अलग बताया जा रहा है। व्यक्ति और व्यक्तित्व--दो अलग शब्द हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से वे परस्पर बहुत दूर नहीं हैं। व्यक्तित्व शब्द व्यक्ति से ही बना है। व्यक्ति पहले है और व्यक्तित्व बाद में। व्यक्ति की विशेषता ही उसका व्यक्तित्व है। यही बात हिन्दू और हिन्दुत्व शब्द में भी सही सिद्ध होती है। हिन्दुत्व रहित हिन्दू वैसा ही है जैसा व्यक्तित्व रहित व्यक्ति। समाज में, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को नहीं व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा मिलती है। व्यक्ति अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ही महान कहलाता है, इतिहास में अमर होता है। व्यक्तित्व-विहीन सामान्य जन तो सृष्टि के अन्य जीवों के समान ही जीवन से मृत्यु तक की महत्वहीन यात्रा करता रहता है। इस कारण व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का महत्व है और हिन्दू के लिए हिन्दुत्व महत्वपूर्ण

है। इसी प्रकार इस्लाम और मुसलमान, ईसाइयत और ईसाई शब्द भी परस्पर भिन्न होकर भी अभिन्न हैं।

हिन्दू और हिन्दुत्व-- दोनों संज्ञा शब्द हैं। 'हिन्दू' जातिवाचक संज्ञा है जो एक जाति-धर्म विशेष में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों का बोध कराती है। यह संज्ञा हिन्दू परिवार में जन्म होते ही व्यक्ति को स्वत: प्राप्त हो जाती है और तब तक बनी रहती है जब तक वह किसी विशेष कारणवश स्वयं इस का त्याग नहीं कर देता है। हिन्दुत्व भाववाचक संज्ञा है और हिन्दू धर्म में स्वीकृत मान्यताओं, परंपराओं, विश्वासों, पूजा-पद्धतियों, रीतियों एवं अन्य तत्संबंधित विशिष्ट विषयों-बिंदुओं के प्रति आस्थाजनित दृढ़ता का बोध कराती है। हिन्दुत्व समस्त हिन्दू समाज के प्रति गहरी रागात्मकता का भाव-बोध है। जिसने हिन्दू परिवार में जन्म लिया है किंतु हिन्दुओं के पर्वों, त्योहारों एवं अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं में जिसकी निष्ठा नहीं, हिन्दुओं के आदर्श महापुरुषों के प्रति जिसके मन में श्रद्धा नहीं, हिन्दुओं की दुर्दशा के प्रति जिसके मन में पीड़ा नहीं, और हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों को पढ़-सुनकर, देखकर जिसके हृदय में क्षोभ, आक्रोश और क्रोध नहीं वह हिन्दुत्व विहीन हिन्दू किस काम का..? पृथ्वीराज चौहान के समय से लेकर आज तक का हिन्दू समाज जातिवाचक हिन्दूओं की अधिसंख्यक स्थिति के बाद भी हिन्दुत्व भावबोध की अल्पता के कारण सदा संकट ग्रस्त रहा है। हिन्दुत्व पृथ्वीराज चैहान, राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, राजा रणजीत सिंह, महाराज छत्रसाल, नानासाहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाषचंद्र बोस, सरदार बल्लभभाई पटेल और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की गौरवशाली बलिदानी परंपरा की ज्योति लिए आज भी संघर्षरत है जबकि हिन्दुत्व भाव शून्य हिन्दू जयचंद, मानसिंह, जयसिंह की भांति पहले मुगलों और अंग्रेजों की सेवा-सहायता करते हुए सत्ता सुख भोगते रहे और अब स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बलिवेदी पर हिन्दू-हितों की बलि देते हुए हिन्दुओं की जड़ें खोद रहे हैं। हिन्दुत्व शब्द में 'वादी' पद जोड़कर नया हिन्दुत्ववादी शब्द गढ़कर उसे अलगाववादी, आतंकवादी की तरह बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हिन्दुओं के विरुद्ध हिन्दुओं की ऐसी गतिविधियां हिन्दू समाज के लिए सदा दुर्भाग्यपूर्ण रहीं हैं और आज भी हैं।

हिन्दू और हिन्दुत्व में अलगाव की कुटिल कल्पना के अनुसार महात्मा गांधी हिंदू हैं और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी। अब तक किसी भी शब्दकोश में 'हिन्दुत्ववादी' शब्द देखने को नहीं मिला है। 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व' शब्द शब्दकोशों में भी हैं और व्यवहार में भी प्रचलित हैं किंतु 'हिन्दुत्ववादी' शब्द हिन्दूओं के गौरव और हिन्दू-अस्मिता के लिए जूझने वालों को समाज में अलोकप्रिय बनाने के लिए गढ़ा गया है। वास्तव में एक राजनीतिक शिविर से उभरा यह स्वर दूसरे राजनीतिक दल की बढ़ती शक्ति को क्षीण करने के लिए की जा रही असफल कोशिश है।

हिन्दू और हिन्दुत्व में अलगाव की कुटिल कल्पना के अनुसार महात्मा गांधी हिंदू हैं और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी। अब तक किसी भी शब्दकोश में 'हिन्दुत्ववादी' शब्द देखने को नहीं मिला है। 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व' शब्द शब्दकोशों में भी हैं और व्यवहार में भी प्रचलित हैं किंतु 'हिन्दुत्ववादी' शब्द हिन्दूओं के गौरव और हिन्दू-अस्मिता के लिए जूझने वालों को समाज में अलोकप्रिय बनाने के लिए गढ़ा गया है। वास्तव में एक राजनीतिक शिविर से उभरा यह स्वर दूसरे राजनीतिक दल की बढ़ती शक्ति को क्षीण करने के लिए की जा रही असफल कोशिश है। प्रश्न यह भी है कि एक महात्मा गांधी पर गोली दागने वाला

गोडसे हिन्दू नहीं है, हिन्दुत्ववादी है तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में सिक्खों की निर्मम हत्यायें करने वाले कौन थे? वे हिन्दू थे अथवा हिन्दुत्ववादी? निश्चय ही ये उसी शिविर के राजनीतिक नेतृत्व से प्रेरित लोग थे जो आज अपने प्रतिपक्षी दल के समर्थकों को हिन्दुत्ववादी कहकर उन्हें आतंकवादियों की तरह कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं।

महात्मा गांधी के सत्याग्रह को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि हिन्दू सत्य चाहता है और हिन्दुत्ववादी सत्ता चाहता है। विचारणीय है कि तथाकथित हिन्दुत्ववादी गोडसे ने किस सत्ता की प्राप्ति के लिए गोली चलाई थी और इससे उसे कौनसी सत्ता की प्राप्ति हुई। प्रश्न यह भी है कि सत्य कौन नहीं चाहता? क्या हिन्दूओं के अतिरिक्त अन्य सब धर्मावलंबी सत्य नहीं चाहते? वस्तुत: संसार का प्रत्येक सज्जन व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, देश का हो-- सत्य अनुरागी होता ही है। जहां तक सत्ता का सवाल है-- सत्ता सबको चाहिए। सत्ता राणाप्रताप को भी चाहिए और सत्ता मानसिंह को भी चाहिए किंतु दोनों के सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य परस्पर भिन्न हैं। मानसिंह को सत्ता निजी सुखों के लिए, विलासिता के लिए चाहिए जबकि राणाप्रताप को सत्ता अपने स्वाभिमान और मानवीय गौरव की सुरक्षा के लिए चाहिए। औरंगजेब को सत्ता इस्लाम के विस्तार के लिए चाहिए, राजा जयसिंह को अपने राजपद की सलामती के लिए चाहिए, डलहौजी को व्यक्तिगत ऐशो-आराम और अपने देश इंग्लैंड की समृद्धि के लिए चाहिए जबकि शिवाजी को सत्ता अपने अस्तित्व की सुरक्षा तथा भारतवर्ष की सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण-संवर्धन के लिए चाहिए। देश के वर्तमान सत्ता-संघर्ष में भी उपर्युक्त प्रतीक पुरुषों के चोले में आज के नेतागण भी इन्हीं अलग-अलग उद्देश्यों की सिद्धि के लिए संघर्षरत हैं।

यह सही है कि प्राय: एक शब्द का एक अर्थ होता है किंतु अनेक शब्द अनेकार्थी भी होते हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे एक शरीर में एक आत्मा निवास करती है वैसे ही एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। संस्कृत में 'पत्र' का अर्थ पत्ता और पाती है, हिन्दी में 'अंक' शब्द गोद, नाटक का एक भाग, परीक्षा में प्राप्त अंक आदि अनेक अर्थ व्यक्त करता है। अंग्रेजी का 'लेटर' शब्द 'अक्षर 'और 'पत्र' दो अर्थ प्रकट करता है। इससे सिद्ध है कि एक शरीर में दो आत्माएं

हों अथवा न हों किंतु बहुत से शब्द दो अर्थ अवश्य व्यक्त करते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि से शब्द - अर्थ की व्याख्या करने का अधिकार है। यह बात तब सही हो सकती है जब व्याख्या करने वाला उस विषय का ज्ञाता हो और तथ्य तथा तर्क के धरातल पर अपना मत व्यक्त करे। अनर्गल प्रलाप करते हुए अर्थ का अनर्थ करना किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका कथन बहुत से लोगों को प्रभावित करता हो, शोभा नहीं देता। समाज में जिसका स्थान जितना बड़ा है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक है। समाज को भ्रमित करना, मनमाने अर्थ गढकर श्रोताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाषा -संवेदना को विकृत करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

हिन्दू गंगा में करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है जबकि हिन्दूत्ववादी अकेले स्नान करता है। यह बात समझ से परे है। जिन्हें हिन्दूत्ववादी कहा जा रहा है उनके शासन में कुंभ स्नान की व्यवस्थाएं पहले से अधिक बेहतर रहीं हैं। सब जानते हैं कि पर्वों पर विशेष सामूहिक स्नान की सांस्कृतिक परंपरा सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है जबकि गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले बहुत से हिन्दू श्रद्धा पूर्वक नित्य ही अकेले गंगा स्नान करते हैं।

स्वतंत्र भारत में सत्ता मिलते ही जिन्होंने गंगा को सांस्कृतिक विरासत के स्थान पर भौतिक समृद्धि का प्राकृतिक संसाधन मात्र माना और तथाकथित विकास के नाम पर पवित्र गंगा जल प्रदूषित कर विषाक्त बना दिया। नगरों-महानगरों के कचरे के साथ-साथ सैकड़ों उद्योगों के विषैले रसायन गंगा में प्रवाहित करने की खुली छूट दी और आजादी के साठ साल में ही गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियां प्रदूषित कर दीं उनके झंडाबरदार आज गंगा की दुहाई देकर हिन्दूओं के गंगा स्नान की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार हिन्दू गंगा में करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है जबकि हिन्दुत्ववादी अकेले स्नान करता है। यह बात समझ से परे है। जिन्हें हिन्दुत्ववादी कहा जा रहा है उनके शासन में कुंभ स्नान की व्यवस्थाएं पहले से अधिक बेहतर रहीं हैं। सब जानते हैं कि पर्वों पर विशेष सामूहिक स्नान की सांस्कृतिक परंपरा सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है जबकि गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले बहुत से हिन्दू श्रद्धा पूर्वक नित्य ही अकेले गंगा स्नान करते हैं। इसमें हिन्दू और हिन्दुत्ववादी जैसे किसी अंतर के लिए कोई संभावना नहीं है किन्तु अपने समर्थकों के बीच लोग कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।

वस्तुत: हिन्दू देह है और हिन्दुत्व उसकी आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना देह का कोई महत्व नहीं वैसे ही हिन्दुत्व रहित हिन्दू का भी कोई अस्तित्व नहीं। आत्मविहीन देह जल्दी ही गल-सड़कर समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार देह के अस्तित्व में रहने के लिए आत्मा आवश्यक है उसी प्रकार हिन्दुओं की अस्मिता के लिए हिन्दुत्व का भावबोध जागृत रहना भी आत्यंत आवश्यक है। हिन्दुत्व के बिना हिन्दू अस्मिता पर अस्तित्व का घोर संकट विगत एक हजार वर्ष से निरंतर छाया रहा है और आज भी है। अब भी यदि हिन्दुत्व-बोध सशक्त नहीं हुआ तो इस देश में भविष्य में उसकी भी वही स्थिति हो सकती है जो शताब्दियों पूर्व पारसियों और यहूदियों की हो चुकी है। अपनी अस्मिता एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए हमारा जन्म से हिन्दू होना ही पर्याप्त नहीं है उसमें हिन्दुत्व की शौर्य -चेतना का दीप्त होना भी परमावश्यक है।

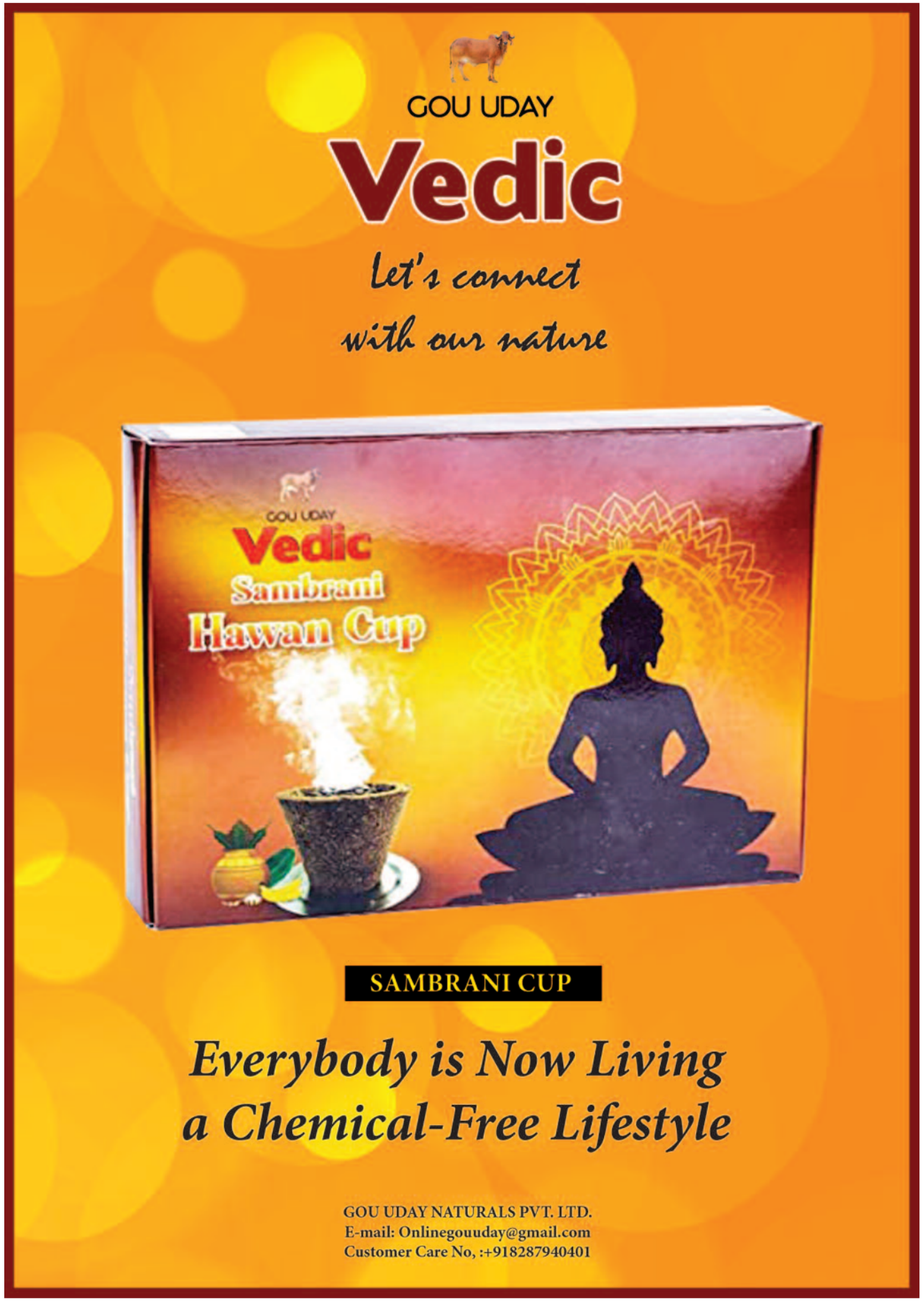

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाली महिलाओं से बातचीत करते हुए

प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का बढ़ता महत्व और विरोधी दलों की सेलेक्टिव राजनीति

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक गहमागहमी के दौर में अब मातृशक्ति भी राजनीति की मुख्यधारा में आ गयी है। जब से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कमान अपने हाथों में ली है तब से वह प्रदेश में महिलाओं के मुददों को जोर-शोर से उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी की कमान में कांग्रेस ने पहली बार प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग चुनाव घोषणा पत्र पेश किया है और महिलाओं को बंजर जमीन में 40 फीसदी टिकट देने सहित कई बड़े-बड़े वायदे किये हैं। प्रियंका गांधी ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा भी दिया है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि अभी जब कर्नाटक विधानसभा में एक कांग्रेसी विधायक ने यह कहकर, 'अगर रेप नहीं रोक सकते तो लेटिये और आनंद लीजिये', घटिया बयान दिया वह भी विधानसभा के अंदर। इस बयान पर भारी हंगामा हो जाने के बाद भी प्रियंका गांधी कोई खास कदम नहीं उठा सकीं और केवल क्षमा याचना तक ही सीमित रह गयीं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का इतिहास भरा पड़ा है कि वह किस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व सेलेक्टिव राजनीति करती है।

राहुल गांधी महिला आरक्षण की बात कह रहे हैं लेकिन सत्यता यह है कि संसद ओर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का सबसे अधिक प्रयास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में हुआ था और तब कांग्रेस सहित सपा, बसपा और अन्य सहयोगी दलों ने तीखा विरोध किया था और वह बिल अभी तक पारित नहीं हो पाया है। कांग्रेस व विरोधी दलों का महिलाओं को सशक्त बनाने का नारा कितना खोखला है यह पूरा देश देख रहा है जब मोदी सरकार ने तीन तलाक कानून को पारित करवाया तब उसका भी विरोध किया गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक बयान दिया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वह तीन तलाक कानून को रदद कर देगी। अभी जब मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष करने का विधेयक सदन के पटल पर रखा तो पूरे विपक्ष ने खूब जोरदार हंगामा किया और बिल को संसद की कमेटी के पास भेज दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि आज देश का हर प्रबुद्ध वर्ग तथा युवतियां सरकार क फैसले के साथ खड़ी दिखलायी पड़ रही हैं। कांग्रेस व विरोधी दलों ने इस कानून का विरोध भी अपनी सेलेक्टिव राजनीति को ही मजबूत करने के लिये किया है लेकिन अब जनता हर चीज को समझ रही है।

अब लगभग सभी चुनावों में देश व प्रदेश की आधी आबादी निर्णायक भूमिका अदा करने लग गयी है। अब पुरूषों के साथ साथ महिला वोटरों को लेकर भी राजनैतिक दल काफी गंभीर हो गये हैं। अब राजनीतिक दल यह जान गये हैं कि महिला वोटर एक निर्णायक भूमिका में आ गयी हैं।

विधानसभा चुनावों के पहले राजनैतिक दल महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिये कमर कस रहे हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रयास तेज कर दिये हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया और स्व्यं सहायता समूहों की महिलाओं के लिये 1,000 करोड़ की आर्थिक राशि स्थनांतरित की है। अपने प्रयागराज दौरे के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 43 जिलों में 202 पूरक पोषण इकाइयों का शिलान्यास किया जहां पुष्टाहार तैयार किया जायेगा। इस अवसर पर 20 करोड़ से अधिक धनराषि कन्या सुमंगलम योजना की लाभार्थियों को भी दी गयी। 20 हजार बैकिंग व्यापार सखियों के खाते में चार-चार हजार रूपये का मानदेय भेजा गया।

महिलालों के विशाल महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किये जाने पर विरोधियां को कष्ट क्यों हो रहा है? बेटियां भी चाहती हैं कि उन्हें पढ़ाई के लिये समय मिले, बाराबर का अवसर मिले। प्रधानमंत्री की यह बात तर्कसंगत भी है और सही भी है लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज जो दल यूपी में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने की वकालत कर रहा है वही दल सदन में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों का सेलेक्टिव राजनीति के लिये विरोध कर रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते अगर कांग्रेस व विरोधी दल इस बिल का विरोध करते हैं तो जो देश का प्रगतिशील समाज है उस समाज में यह दल बुरी तरह से साफ हो जायेंगें। भारतीय जनता पार्टी अब यह मुददा हर हाल में अपनी ओर मोड़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण के नाम पर कांग्रेस व वामपंथी दलों का रवैया हमेशा दोहरारहा है जबकि वास्तविकता यह है कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आयी है तब से पूरे देशभर में नारी सशक्तीकरण का एक श्रेष्ठ अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं व युवतियों के हक में लगातार फैसले लिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास हुआ है। परिणाम यह है कि आज अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है। बहनों के जीवन में सुविधा आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है।

यह बात बिलकुल सही है कि महिलाओं के जीवन को सुगम और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार व योगी सरकार बहुत ही ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना में 30 लाख से अधिक आवासों में 25 लाख महिलाओं के नाम है। ग्रामीण महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना से उनका जीवन आसान हुआ है और उन्हें अब धुएं के चूल्हे से निजात मिल चुकी है। जगह- जगह शौचालय भी बन जाने से महिलाओं और युवतियों को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है। शारीरिक रूप से

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वदेशी सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करायी जा रही हैं। 15 अगस्त 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों का प्रवेश देने का ऐलान किया। यह प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार हैं जिसमें महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तथा बच्चियों के साथ दुराचार जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को दस दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई जा रही है।

कांग्रेस यह तो आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार में महिला उत्पीड़न बढ़ा है लेकिन वह यह नहीं बताती कि यह भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सशक्त शासन है जिसमें उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता का मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आज जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। युवतियों का शोषण करने वाले आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे लोग जिन्हें कोई सोच नही सकता था कि वह लोग कभी जेल जायेंगे लेकिन वह आज अपने किये की सजा भुगत रहे हैं। मोदी सरकार में महिला सशक्तीकरण का काम लगातार जारी है। जन-धन योजना से भी महिला सशक्तीकरण ही हो रहा है। देश का वित्त मंत्रालय एक महिला के हाथो में है तथा वह आज देश की ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज महिलाएं सशक्त व आत्मनिर्भरता की चैपिंयन बन रही हैं। संपत्ति, खेत और नौकरी तक में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था, अब हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ हो रही असमानता को दूर किया जा रहा है। रोजगार से लेकर परिवार तक में उन्हें भागीदार बनाया जा रहा है। आज महिलायें हर जगह कदम से कदम बढ़ाकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही हैं। अब तो सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड का नेतृत्व महिला कमांडर ने किया था जिसे देखकर पूरा देश भावुक हुआ था। सरकार महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिये लगातार कदम उठा रही है।

अभी जब सरकार ने युवतियां की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का ऐतिहासिक निर्णय किया तो उसका काफी विरोध हुआ और हो भी रहा है लेकिन सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खीचे हैं और दो कदम आगे जाते हुए फैसला लिया है कि अब अब देश के अतिमहत्वपूर्ण हस्तियों की सुरक्षा

लखनऊ में एक रैली के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं और छात्राओं के साथ

में पहली बार सीआरपीएफ की महिला कमांडो को तैनात किया जायेगा। इसके लिए अभी 32 महिला कमांडो को वीआईपी सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी गई है।

दूसरी तरफ जब से प्रदेश में योगी सरकार आयी है तब से प्रदेश की युवतियों व महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके इसके लिए भी लगातार कड़े कदम उठाये जा रहे हैं तथा इसका असर भी दिखलायी पड़ रहा है। आज प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मसुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी व गैरसरकारी संगठन महिलाओ को हर क्षेत्र में जागरूक करने के काम में जुटे हैं।

कांग्रेस यह तो आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार में महिला उत्पीड़न बढ़ा है लेकिन वह यह नहीं बताती कि यह भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सशक्त शासन है जिसमें उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता का मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आज जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। युवतियों का शोषण करने वाले आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे लोग जिन्हें कोई सोच नही सकता था कि वह लोग कभी जेल जायेंगे लेकिन वह आज अपने किये की सजा भुगत रहे हैं।

आज प्रदेश में युवतियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत 23 विभागों के जरिये 75 तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बीजेपी कमल शक्ति संवाद के माध्यम से महिलाओं को भी योजनाओ को जानकारी दे रही है तथा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। प्रदेश सरकार उप्र नारी शक्ति के सम्मान सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए है। जो कांग्रेस कह रही है कि वह पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देगी वह सफेद झूठ है आज वास्तविकता यह है कि प्रदेश में डेढ़ लाख पुलिस भर्ती में 20 फीसद पद महिलाओं के लिये हैं। प्रदेश सकरार ने महिलाओं व युवतियां के लिए लगातार फैसले लिये हैं। कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल केवल चुनावी नजरिये से ही महिलाओं को भी देखते है। अगर कांग्रेस को महिलाओं को आरक्षण देने की इतनी फिक्र है तो वह बताये कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब महिला आरक्षण देने के लिये विधेयक ला रही थी तब उसका विरोध क्यों हो रहा था।

आधी आबादी का वोट पाने के लिए फिलहाल कांग्रेस, सपा व बसपा को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी।

Mi2C SECURITY & FACILITIES PVT. LTD.
SAFE, SECURE & VIBRANT
8/40 , UGF, South Patel Nagar , New Delhi - 110008.
Tel : +91 111 25843241, 25843242 | mi2csf@gmail.com
Web : www.mi2c.in

PRANAV TEK CHAND
CHAIRMAN

Corsery Overview

- ISO 14001: 2004 Certified
- OHSAS: 18001 2007 Certified
- ISO: 9001: 2008 Certified
- ISO: 9001: 2005 Certified
- Licensed under PASAR Act. 2005 in Delhi, NCR, Haryana, Rajasthan, Punjab, UP, Bihar
- State of the art Recognized Skill Development Academy in Delhi.
- Registered VTP with DGT
- Accredited with Shobhit University
- Member CAPSI
- Registered with SSSDC
- More then 50 Clients from Central/State/Delhi Govts, PSUs, Hospitals and private sector giants with 2500 approx personal on roll.
- Provided Training to more than 2300 personal under PASAR and other Schemes of Central/State.
- Provided Skill Development Training to around 600 Candidates under PMKVY1.
- Under way to Skill 5000 to 5500 Candidates per year under RPL Scheme of PMKVY2.

Services We offer:

- Security
- Housekeeping
- Facility & Utility
- Training & Skill Development
- Consultancy
- Fire and Safety Engineering
- Hospitality
- Manpower Supply
- Specialy Trained manpower for deployment in underground mines
- Traffic Martial
- Bank's Cash Van

Security & Surveillance
Training & Skill Development
Facility Management
Cash Logistics
Mi2C
Collaborative Robots
Manpower
Fire and Safety Engineering
Consultancy

Branches: PUNJAB | HARYANA | CHANDIGARH | RAJASTHAN
UTTAR PRADESH | MADHYA PRADESH | BIHAR | KARNATAKA
ORISSA | HIMACHAL PRADESH | UTTRAKHAND | JHARKHAND

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला ऐतिहासिक

सपनों की उड़ान को मिले नए पंख

प्रो. बल्देव भाई शर्मा

पिछले दिनों केंद्रीय केबिनेट द्वारा लड़कियो की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिए जाने का फैसला निश्चय ही देश में महिला सशक्तिकरण और बेटियों के सपनों की उड़ान को नए पंख देने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। अपने 15 अगस्त के उद्बोधन में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत पहले ही दे दिया था। वैसे भी काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो नारा दिया। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' उससे महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सोच स्पष्ट होती है। उन्होंने जब लड़कियों के जन्मदिन पर उनके साथ पिता की सेल्फी भेजने का आह्वान किया तो देश में बेटियों के प्रति नजरिए में न केवल बदलाव आया बल्कि एक उल्लास और आनंद का वातावरण बना। जिस देश में कन्या भ्रूण हत्या एक कलंक बन गई हो और स्त्री-पुरुष अनुपात में जबर्दस्त असंतुलन पैदा हो गया हो, कुछ राज्यों में तो यह 1000 पुरुषों पर 800 महिलाओं तक आ गया हो तब बेटियों के जन्म और उनके संरक्षण के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है।

हालांकि कुछ मजहबी कुंठाओं से ग्रस्त कट्टरपंथी और संकीर्ण सोच के लोगों ने इस फैसले पर अपनी बेहद कुत्सित प्रतिक्रिया भी दी, जबकि देश में अधिकांशत: सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी के एक सांसद जिनका भारतीयता विरोध अक्सर सामने आता रहा है चाहे वह वंदेमातरम का मुद्दा हो या कुछ अन्य, ने तो यहां तक कह दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से उनके 'आवारा' होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक मौलवी साहब कह रहे थे कि इससे माता-पिता पर और लंबे समय तक लड़कियों को सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। दुर्भाग्य से यह वहीं सोच है जो महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं, अन्यथा भारतवर्ष में स्त्री शिक्षा, उनके जीवन का सम्मानपूर्वक उन्नयन, उनकी सुरक्षा व सशक्तिकरण प्राचीन काल से रहा है। भारतीय साहित्य ऐसी गौरवशाली कथाओं से भरा पड़ा है। यह अलग बात है कि भारत के पराधीनता काल में चाहे वे मुगल रहे हों या अंग्रेज, भारतीय समाज जीवन को अनेक विकृतियों का शिकार बनाया गया और बड़े अपमानजनक व गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया। एक आक्रांता मुगल शासक जिसे 'महान' पढ़ाया जाता है, का उल्लेख आता है कि वह आगरा में सिर्फ महिलाओं के लिए मीना बाजार लगवाया करता था ताकि वहां आने वाली सुंदर हिंदू स्त्रियों को उसके जासूस जो महिलाओं के रूप में वहां घूमते थे, चिन्हित करके हरम में भेज सकें। ऐसी घटनाओं से डरकर माता-पिता लड़कियों की सुरक्षा के लिए, चिंतित होकर परदा प्रथा या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के शिकार हुए। लेकिन उस काल में भी स्त्री सशक्तिकरण की चेतना का स्फुलिंग दहकता रहा और केशवचंद्र सेन, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई फुले जैसे अनेक समाज सुधारक समय-समय पर सामने आते रहे।

मोदी सरकार के इतने प्रोग्रेसिव फैसले पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है जिसे जानबूझकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों व बुद्धिजीवियों ने न केवल कपटपूर्वक छिपाया, बल्कि इसके उलट झूठ प्रचारित किया जाता रहा। जैसे आज भी 'फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया' के नाम पर पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी 'रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट' थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की पुस्तक 'अकबर द ग्रेट मुगल' में लिखा है कि अकबर भारत में एक विदेशी था। उसकी नसों में खून की एक बूंद भी भारतीय नहीं थी। आगरा में मीना बाजार लगवाता था। विडंबना देखिए कि उसी अकबर को महान देशभक्त और वीर योद्धा और राणा प्रताप के मुकाबले महान बताया जाता है। कैथरीन मेयो की पुस्तक 'मदर इंडिया' में भारतीयों को हेय दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है और यौन नैतिकता का मजाक उड़ाया गया है। फिल्मकार महबूब खान जो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, ने फिल्म मदर इंडिया बनाकर इसका कड़ा जवाब दिया और भारतीय स्त्री की नैतिक दृढ़ता का मानदण्ड प्रस्तुत किया। इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के इस फैसले के महत्व को समझने की जरूरत है।

करीब 43 साल बाद लड़कियों की शादी की उम्र में यह बदलाव हुआ है। सन् 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन कर लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18 वर्ष की गई थी और अब जब जीवन की परिस्थितियां आधुनिक संदर्भ में काफी कुछ बदल गई हैं, तब यह आयु सीमा बढ़ाना एक नई सोच का परिचायक है। प्रधानमंत्री कहते हैं- देश की महिलाओं को जब भी मौका मिला, उन्होंने देश को मजबूत करने में योगदान दिया। बेटियों को कुपोषण का शिकार होने से बचाने में कानून के इस बदलाव से मदद मिलेगी। वास्तव में देखें तो दो-तीन कारणों से इस कानून संशोधन की अहमियत को समझा जा सकता है। देश में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर का आंकड़ा चिंताजनक है। अमूमन 18 साल की उम्र तक लड़कियां शारीरिक व मानसिक रूप से शादी और मातृत्व के लिए परिपक्व नहीं हो पाती है। सामाजिक दबाव में माता-पिता बेटी की शादी कर उसके सुरक्षित भविष्य की कल्पना करते हैं, पर वह वास्तव में अपनी वैवाहिक भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती है। इसका बेहद प्रतिकूल असर उसके जीवन और संतान पर पड़ता है। अत:

कुछ मजहबी कुंठाओं से ग्रस्त कट्टरपंथी और संकीर्ण सोच के लोगों ने इस फैसले पर अपनी बेहद कुत्सित प्रतिक्रिया को दी, जबकि देश में अधिकांशतः सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी के एक सांसद जिनका भारतीयता विरोध अक्सर सामने आता रहा है चाहे वह वंदेमातरम का मुद्दा हो या कुछ अन्य, ने तो यहां तक कह दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से उनके 'आवारा' होने का खतरा बढ़ जाएगा।

यह तर्क बेमानी हैं कि जब 18 साल में मताधिकार मिल गया तो कन्याओं की शादी इस उम्र में क्यों नहीं? इस उम्र में जच्चा-बच्चा के कुपोषण का खतरा काफी रहता है। इसके आंकड़े काफी चिंताग्रस्त करने वाले हैं, विशेषकर अपेक्षाकृत सुविधा-संपन्न शहरी क्षेत्रों के तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानमंत्री ने स्वयं कुपोषण पर चिन्ता जताई है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात- अब समय बहुत बदल गया है। यह करियर और शिक्षा की उत्कृष्टता का युग है जिसमें हमारे देश की बेटियां नित नया इतिहास रच रही हैं। अंतरिक्ष से लेकर मंगलयान और प्रशासनिक, सामाजिक व शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका हमें गर्वोन्नत करने वाली है। इस बदलते दौर में उनके सपनों को उड़ान देने के लिए नूतन अवसरों की जरूरत है ताकि वे शिक्षा, सफलता और करियर की महान ऊंचाइयों को छू सकें। विवाह निश्चय ही भारत की एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है जो विश्व में अनुपम है। पर, वो बेटियों के आर्थिक सामाजिक उन्नयन में बाधा न बने। उनका जीवन आत्मनिर्भर, ज्यादा सुरक्षित और सम्मानित बने, इसके लिए नए अवसर दिए जाना आवश्यक है। आजकल तो आमतौर पर प्रोफेशनल महिलाएं 30 की उम्र के बाद ही शादी करती हैं। तो सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम इस दृष्टि से बेहद अहम है ताकि बेटियों के लिए नए क्षितिज के द्वार खुलें। इसलिए भारत में सामाजिक सुधारों की परम्परा में यह एक और कड़ी जुड़ती है। इससे महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा व करियर के नए रास्ते बनेंगे। इससे उनके शारीरिक व मानसिक विकास के स्तर को मजबूत होने का अवसर बढ़ेगा।

बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां स्त्रियों के सामाजिक उन्नयन में बड़ी बाधाएं रही हैं। यह उसी घृणित मानसिकता का विस्तार है, जो 'लड़कियां पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी' जैसी सोच स्थापित करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का सूत्र देकर इसकी कड़ी काट प्रस्तुत की है। स्त्री के अपमान और उत्पीड़न को रोकने के लिए इस सरकार ने तीन तलाक जैसी निर्ममता के विरुद्ध कानून बनाया। जबकि इसके विपरीत एक अन्य प्रधानमंत्री ने सत्ता स्वार्थों के लिए मजहबी ताकतों के सामने घुटने टेकते हुए शाहबानो मामले में स्त्रियों के भरण-पोषण की सुरक्षा देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संसद में अपनी पार्टी की ताकत से बदल दिया। इससे तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए जो एक सुअवसर आया, वह फिर उनके नारकीय जीवन का अंदेशा बन गया।

इस नए कानून के बाद यह समझना भी जरूरी है कि केवल कानून बन जाने या सरकारों की सकारात्मक भूमिका से ही सब कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि इसके प्रति सामाजिक जागरूकता और परिवार की सजग सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। कोई भी समाज स्त्रियों के सम्मान, उनकी सुरक्षा व उनके लिए शिक्षा व आत्मनिर्भरता के अवसरों को सुदृढ़ करके ही आधुनिक व प्रगतिशील बन सकता है। भारत में तो स्त्री परिवार व समाज की धुरी रही है। भारत की इस ऋषि परंपरा को मोदी सरकार का यह फैसला निस्संदेह और मजबूती देगा। गांव-गांव यह संदेश और जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

शादी की उम्र पर घमासान

विवाह को लेकर तमाम धर्म अपने कानूनों का भी हवाला देते हैं, जिनके अपने-अपने मानक भी हैं। जैसे इस्लाम में यौवन प्राप्ति के लिए नाबालिग के विवाह को भी सही माना जाता है। शफीकुरहमान बर्क हों या दूसरे मुस्लिम नेता, विवाह सुधार के कानूनी प्रस्ताव के उनके विरोध की असल वजह उनकी इस्लामी मान्यता ही है। वैसे हिंदू विवाह अधिनियम भी लड़कियों और लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 साल ही मानता है। वह अपनी किसी संहिता का कभी हवाला नहीं देता।

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय लोकतंत्र ऐसे दौर में पहुंच गया है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लिए गए फैसले पर अगर सवाल ना उठे तो हैरत ही होगी। अगर इन फैसलों पर राजनीति ना हो तो हैरत और भी ज्यादा होती है। कहना न होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला क्या लिया, राजनीति शुरू हो गई है। इस फैसले के खिलाफ विशेषकर मुस्लिम समुदाय के नेता सामने आ गए हैं। एमआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओबैसी ने सवाल उठाया है कि अगर 18 साल की उम्र के युवा मतदान कर सकते हैं तो शादी की उम्र 21 साल क्यों होनी चाहिए। बात यहीं तक होती तो गनीमत होती। विवादित बयानों के लिए विख्यात समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने इससे भी आगे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के बाद वे और ज्यादा आवारगी करेंगी। समाजवादी पार्टी के ही महाराष्ट्र के नेता अबु आजमी तो इस विधेयक को जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश से जोड़ने से भी नहीं रूके। अबु आजमी ने कहा कि यह कानून वे लोग ला रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें इसके बारे में क्या पता। झारखंड के भी एक मंत्री ने इस प्रस्तावित कानून का भी विरोध किया है। दिलचस्प यह है कि वे भी मुस्लिम समुदाय के ही हैं। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी इस फैसले को चुनाव से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तैयारी में है।

दरअसल सरकार ने यह फैसला समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिश पर लिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह टास्क फोर्स जून 2020 में गठित की थी। इसके सह अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल थे। दस सदस्यीय इस समिति में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई की पूर्व कुलपति वसुधा कामथ और गुजरात की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ दीप्ति शाह समेते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालयों के सचिव और कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टास्क फोर्स को शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात समेत पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम अन्य मुद्दों पर विचार करना था।

वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून में बदलाव के संकेत पिछले साल के स्वाधीनता दिवस को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में दे दिए थे। उन्होंने तब कहा था कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, सरकार लड़कियों की शादी की उम्र पर फिर से गौर कर सकती है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, 'हमने एक कमेटी का गठन किया है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि बेटियां अब कुपोषण का शिकार न हों और उनकी शादी सही समय पर हो। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी, बेटियों की शादी की उम्र के बारे में, उचित फैसले लिए जाएंगे।'

टास्क फोर्स की सिफारिश डॉक्टरों की उस

राय पर आधारित है, जिसके मुताबिक पहले बच्चे के जन्म के समय, महिला की उम्र कम से 21 साल होनी चाहिए। टास्क फोर्स ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शादी में देरी से परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज पर सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असर पड़ते हैं। टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उसकी रिपोर्ट कम तथा मध्यम आय वाले पचास से ज्यादा देशों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन शिशुओं की सेहत खराब होने का खतरा कम रहता है, जिनकी उम्र पहले बच्चे के जन्म के वक्त 27 से 29 वर्ष होती है। टास्क फोर्स ने माना है कि मां बनने की आदर्श आयु 21 से 35 वर्ष के बीच की होती है।

शफीकुर्रहमान बर्क शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर चाहे जो भी विवादित बयान दें, लेकिन इस प्रस्तावित कानूनी बदलाव के बाद एक सवाल मुंह बाए खड़ा रहेगा। दरअसल सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र सीमा 18 साल है। जाहिर है कि जब शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल की जाएगी तो सहमति वाला यह प्रावधान भी आड़े आएगा। सवाल यह उठेगा कि क्या बिना शादी के सहमति से किया गया सेक्स जायज है या नहीं। लेकिन टास्क फोर्स ने इस विषय पर कोई सिफारिश दी ही नहीं है। सूत्रों का कहना है कि टास्क फोर्स ने सेक्स पर आलोचनात्मक नजरिया अपनाने की बजाय, सेक्स काउंसलिंग और सेक्स शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया है।

शादी के कानूनों में प्रस्तावित विवाद के बावजूद लगता नहीं कि सरकार पीछे हटने के मूड में है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सभा में प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि जब हर मौके पर बराबरी की बात होती है तो शादी के लिए बराबरी की बात क्यों ना हो। वैसे भी सरकार का मकसद लड़कियों की सेहत पर गौर करना ज्यादा है। हालांकि राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक विवादों से परे विवाह की मौजूदा उम्र सीमा और उसके कानूनी पहलुओं के साथ ही इसके इतिहास की भी पड़ताल करनी चाहिए। दरअसल अभी लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र 18 साल है, जबकि लड़कों की 21 साल निर्धारित है। वैसे 1872 के पहले तक विवाह के लिए अपने देश में कोई कानून नहीं था। इसकी वजह से बाल विवाह भी खूब होते थे। इसे रोकने की दिशा पहला प्रयास समाज सुधारकों ने किया, जिनकी मांग पर अंग्रेज सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। इस कानून के मुताबिक 14 वर्ष से कम उम्र वाली लड़कियों की शादी पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं रहा। इसके बाद

पारसी समाज सुधारक वी. एम. मालाबारी की कोशिशों के बाद साल 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत 12 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई।

बहुचर्चित शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ। इसके लिए समाज सुधारक हर बिलास शारदा ने भरपूर कोशिश की थी, इसीलिए इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार शादी की उम्र को स्वास्थ्य के आधार पर तार्किक बनाने की कोशिश की। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद आजादी के बाद 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया, जिसमें विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। इसी तरह 2006 में आए बाल विवाह अधिनियम के तहत भी लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई।

वैसे विवाह को लेकर तमाम धर्म अपने कानूनों को का भी हवाला देते हैं, जिनके अपने-अपने मानक भी हैं। जैसे इस्लाम में यौवन प्राप्ति के लिए नाबालिग के विवाह को भी सही माना जाता है। शफीकुरहमान बर्क हों या दूसरे मुस्लिम नेता, विवाह सुधार के कानूनी प्रस्ताव के उनके विरोध की असल वजह उनकी इस्लामी मान्यता ही है। वैसे हिंदू विवाह अधिनियम भी लड़कियों और लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 साल ही मानता है। वह अपनी किसी संहिता का कभी हवाला नहीं देता।

शफीकुर्रहमान बर्क शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर चाहे जो भी विवादित बयान दें, लेकिन इस प्रस्तावित कानूनी बदलाव के बाद एक सवाल मुंह बाए खड़ा रहेगा। दरअसल सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र सीमा 18 साल है। जाहिर है कि जब शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल की जाएगी तो सहमति वाला यह प्रावधान भी आड़े आएगा। सवाल यह उठेगा कि क्या बिना शादी के सहमति से किया गया सेक्स जायज है या नहीं। लेकिन टास्क फोर्स ने इस विषय पर कोई सिफारिश दी ही नहीं है।

बहरहाल शादी के कानूनों में प्रस्तावित इस विवाद के बावजूद लगता नहीं कि सरकार पीछे हटने के मूड में है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सभा में प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि जब हर मौके पर बराबरी की बात होती है तो शादी के लिए बराबरी की बात क्यों ना हो। वैसे भी सरकार का मकसद लड़कियों की सेहत पर गौर करना ज्यादा है। हालांकि राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वैसे विरोधियों को सोचना चाहिए कि आज दुनिया संहिताओं से कहीं आगे निकल गई है। अब महिला और पुरूष हर मोर्चे पर साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लड़कों की उम्र ज्यादा और लड़कियों की कम क्यों हो? यह तर्क भी बेमानी है कि जब 18 साल का लड़का या लड़की प्रधानमंत्री चुनने की पात्रता रखते हैं तो शादी की उम्र क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? इस तर्क में एक झोल यह है कि अब भी लड़कों की शादी की उम्र 21 साल ही है, भले ही 18 साल का लड़का वोट दे सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सपनों की उड़ान

नीलाभ कृष्ण

कई घरों में लड़कियों का हाल यह है कि 18 साल के बाद वे अपनी शादी को चाहकर भी नहीं रोक पातीं। किसी प्रेम प्रसंग की खबर लगते ही सबसे पहल परिवार वाले लड़की की शादी कराना ही उचित समझते हैं। इसलिए ही मोदी सरकार ने यह फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। अब इसे कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के बिल को मंजूरी दे दी है। फिलहाल शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लैंगिक समानता सहित कई कारणों के चलते महिलाओं के लिए शादी की उम्र को लेकर बदलाव करने का फैसला किया। शादी की कम उम्र के चलते जल्दी गर्भधारण का महिलाओं और उनके बच्चों के पौष्टिकता आधार, उनकी स्वास्थ्य समग्रता और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। इससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जल्दी शादी से उन महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी असर पड़ता है जिनको शादी के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में देश में बाल विवाह के मामलों में कमी देखी गई है और अब सरकार इसे और कम करने पर जोर दे रही है। लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र एक जैसी करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लालकिले से अपने संबोधन के दौरान की थी।

पीएम मोदी ने जून 2020 में ही जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था, जिसने शादी की उम्र बढ़ाने के हर पहलू पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को कानून में बदलाव की सिफारिश की। अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने बताया कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि स्वस्थ शिशु का भी जन्म होगा। हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ और वजह भी हैं, जिसे हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लड़कियों की शादी करने की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने है।

अगर लड़कों की बात करें तो कानूनन लड़के 21 वर्ष की उम्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन देश में लड़कों के शादी करने की औसत उम्र साढ़े 23 साल है। ये लड़कियों से दो साल ज्यादा है। ये आंकड़े भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति नहीं बताते हैं। देश में अक्सर ही 18 साल से पहले ही लड़कियों की शादी करने की खबरें आती रहती हैं जबकि कानून कहता है कि आप 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। इस बिल के जरिए सरकार की कोशिश महिलाओं के विकास की है। खासतौर से उन महिलाओं के विकास की जिनके सपने सामाजिक बंधनों की जंजीर में जकड़ कर रह जाते हैं।

हमारे देश में जैसे ही लड़की की उम्र 18 साल होती है तो आमतौर पर सबसे पहले माता-पिता और परिवारवालों के मन में क्या ख्याल आता है, शायद इसका जवाब देने के लिए आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े। हमारे देश में जैसे ही लड़कियों की उम्र 18 साल होती है, परिवारवाले सोचते हैं कि जल्द से जल्द लड़की की शादी कर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया जाए। लोगों के दिमाग में यह बैठ गया है कि लड़कियां जैसे ही 18 साल की हो जाएं उनके हाथ पीले कर दिए जाएं। भले ही लड़की मानसिक रूप से तैयार नहीं हुई है। ऐसे में लड़कियां कुएं के मेंढ़क की तरह जिंदगी बिताने लगती हैं। वे दुनिया को उस नजरिए से देख ही नहीं पाती जिसकी वे हकदार होती हैं।

शादी तो हो ही जाएगी लेकिन इसके पहले लड़कियों को खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित करने की जरूरत है। कम उम्र में शादी करने से लड़की का भविष्य खराब हो जाता है, उनको उन रिश्तों को समझना पड़ता है जिसके लिऐ वे तैयार नही होतीं। उनको उन समस्याओं से जूझना पड़ता है जिसके बारे में वे सोचती भी नहीं है।

यह सख्त कानून बाल विवाह को रोकेगा।

राजस्थान में आज भी चोरी-छिपे बाल विवाह किए जाते हैं क्योंकि वहां कई जगहों पर लड़की देने के बदले उस घर की लड़की को बहू बनाने का रिवाज है। इस फैसले की वजह से लड़कियां परिवार को शादी करवान से रोक पाएंगी। जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, वे कमाएगी नहीं तो घरवालों पर वे भार ही लगेंगी। उन्हें हमेशा दूसरों के ऊपर ही आश्रित होना पड़ेगा।

कई घरों में लड़कियों का हाल यह है कि 18 साल के बाद वे अपनी शादी को चाहकर भी नहीं रोक पातीं। किसी प्रेम प्रसंग की खबर लगते ही सबसे पहल परिवार वाले लड़की की शादी कराना ही उचित समझते हैं। इसलिए ही मोदी सरकार ने यह फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। अब इसे कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। सबसे खास बात ये है कि अगर ये कानून बना तो ये नियम सभी धर्मों पर लागू होगा। फैसले के पीछे सोच ये है कि अगर सरकार ने शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया तो इससे कई बदलाव आएंगे जो परिवार लड़की की 18 साल उम्र होते ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लोगों की सोच के साथ ही महिलाओं की सेहत भी बेहतर होगी। करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदलेगी और भारत की आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी, क्योंकि इस फैसले का आधार व्यापक है। लेकिन विवाद है थम ही नहीं रहा।

फैसले पर राजनीति

बीते कुछ सालों से जैसा देश के कुछ घरों खासकर मुसलमानों का रवैया अजीब है।

अब जबकि सरकार ने नियम बना दिया है, तो होगा ये कि अब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी रहेगी उन्हें घर में रखना। और जाहिर है समाज को दिखाने के लिए ही सही उसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना होगा। जहां लड़की को उसके अधिकार तो पता चलेंगे ही साथ ही वो रौशन ख्याल होगी और गलत चीजों, कुरीतियों और आडंबरों का विरोध करेगी। अब आप खुद बताइये हर बात पर विरोध करने वाली या 'बागी' लड़कियां किसी को पसंद होती हैं क्या?

उन्होंने कसम खा ली है कि केंद्र अगर कुछ भी अच्छा करे या सामाजिक बदलाव के लिए कोई बड़ी पहल करे तो उसमें मीन मेख निकालनी है, और उसका कलेक्टिव विरोध करना है। सीएए का मामला तो विदेशी नागरिकों से जुड़ा था, लेकिन उसे स्थानीय मुसलमानों का मुद्दा बनाकर बवाल काट दिया गया। अब बारी आई है लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर। मोदी सरकार ने जब से लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का मन बनाया है, एक मुस्लिम धड़े के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के ही दो मुस्लिम सांसदों ने इस पर अजीबोगरीब बयान दिया था। एक सपा सांसद कहते हैं कि शादी उम्र बढ़ा देने से लड़कियों को आवारगी का मौका मिलेगा। जबकि एक अन्या सपा सांसद ने कहा कि 16 साल की उम्र में लड़कियां सबसे ज्या दा फर्टाइल होती हैं। अब इन दो जुमलों के बाद तो यही लगा कि लड़कियां न हुईं, सिर्फ मर्दों की जिम्मेंदारी हो गईं या बच्चा पैदा करने की मशीन।

खैर, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इस मुद्दे पर अपनी उपस्थिति जताना चाहता है। उसने कह दिया है कि मोदी सरकार का ये फैसला मुस्लिम रीति रिवाजों, उनके पर्सनल लॉ में दखलंदाजी है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि अभी बीते दिनों ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आईयूएमएल ने तर्क दिया है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में अतिक्रमण है।

वरिष्ठ पत्रकार बिलाल एम जाफरी आई चौक डॉट इन पर लिखते है 'सवाल ये है कि जब खुद मुस्लिम महिलाएं भी सरकार के साथ हैं तो फिर ये व्यर्थ का तमाशा क्यों हो रहा है? जवाब सीधा, स्पष्ट और शायद चुभने वाला है। चूंकि शरिया के अनुसार पीरियड आने के बाद लड़कियां विवाह योग्य हो जाती हैं तो ज्यादातर मुस्लिम उनके हाथ पीले कर देते हैं। फायदा ये होता है कि परिवार का वो खर्च बच जाता है जो उनकी लिखे पढ़ाई में व्यय होता है।

अब जबकि सरकार ने नियम बना दिया है, तो होगा ये कि अब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी रहेगी उन्हें घर में रखना। और जाहिर है समाज को दिखाने के लिए ही सही उसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना होगा। जहां लड़की को उसके अधिकार तो पता चलेंगे ही साथ ही वो रौशन ख्याल होगी और गलत चीजों, कुरीतियों और आडंबरों का विरोध करेगी। अब आप खुद बताइये हर बात पर विरोध करने वाली या 'बागी' लड़कियां किसी को पसंद होती हैं क्या?

साफ है कि भले ही मॉडर्न बनने की बड़ी-बड़ी बातें कितनी भी क्यों न हो जाएं। आज आजादी के 70 साल बाद भी मुस्लिम समाज औरतों को अंधकार में रखना चाहता है। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मौका दे दिया है। नियम का विरोध कर रहे मुस्लिम इंटीलेक्चुअल्स को लग यही रहा है कि यदि मुस्लिम महिलाएं जागरूक हो गईं तो फिर क्या होगा? जिक्र मुस्लिम मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉ बोर्ड का हुआ है तो कहना गलत नहीं है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर मोदी सरकार ने मुस्लिम कटटरपंथियों की सोच को चुनौती दे दी है।'

कांग्रेस ने फिर पकड़ा उड़ता तीर

महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 साल करके मोदी सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा दांव खेल दिया है। सपा, आईयूएमएल और एएआईएमआईएम का रवैया मुस्लिम संगठनों के ऐतराज के साथ जुड़ाव वाला है, जिसमें वे शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर दखल मान रहे हैं। लेकिन, इस सबसे इतर अब कांग्रेस ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का विरोध किया है और उड़ता तीर पकड़ लिया है। इस मामले में उसका रवैया शाह बानो मामले जैसा दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे ये गतिरोध ठीक उस वक्त दिखाई दे रहा है जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा जैसे राज्य चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और दिलचस्प ये कि इन राज्यों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जी जान एक की हुई है। एक ऐसे समय में जब खुद महिलाओं ने सरकार की मंशा का स्वागत किया हो। साथ ही महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों द्वारा भी इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल कहा जा रहा हो। कांग्रेस का फ्रंट फुट पर आना और सामजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और आईयूएमएल की तर्ज पर इस जरूरी चीज का विरोध करना, इस बात की तस्दीक कर देता है कि इन लोगों ने महिलाओं और उनके हितों को मुद्दा तो बनाया। उसे अपने अपने मेनिफेस्टो में जगह भी दी मगर बात जब उन मुद्दों को अमली जामा पहनाने की आई तो ये लोग दूर हट गए। कांग्रेस को भी चाहिए था कि वो तमाम तरह के गतिरोध और वैचारिक विरोधाभास को दरकिनार कर बाहें फैलाकर इसका स्वगात करती लेकिन अब जबकि विरोध के स्वर कांग्रेस के खेमे से भी आ रहे हैं साफ है कि इसका खामियाजा कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसलिए भी भुगतेगी क्योंकि जनता भी ये देख रही है कि अहम या ये कहें कि जरूरी चीजों के लिए कांग्रेस कितनी और किस हद तक गंभीर है।

इस बिल को लाने का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, महिलाओं को कुपोषण से बचाना है, क्योंकि कम उम्र में शादी की वजह से महिलाओं के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इस बिल का सबसे बड़ा मकसद मातृ मृत्यु दर के खतरे को कम करना है। शादी की उम्र बढ़ाने का एक मकसद ये भी है कि जो लड़कियों उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। शादी से पहले वो करियर बना सकेंगी। अधिकतर लड़कियां आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकेंगी।

आज आजादी के 70 साल बाद भी मुस्लिम समाज औरतों को अंधकार में रखना चाहता है। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मौका दे दिया है। नियम का विरोध कर रहे मुस्लिम इंटीलेक्चुअल्स को लग यही रहा है कि यदि मुस्लिम महिलाएं जागरूक हो गईं तो फिर क्या होगा? जिक्र मुस्लिम मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉ बोर्ड का हुआ है तो कहना गलत नहीं है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर मोदी सरकार ने मुस्लिम कटटरपंथियों की सोच को चुनौती दे दी है।'

वाकई ये फैसला क्रांतिकारी और ऐतिहासिक हैं। इस फैसले का भारत के समाज पर भी गहरा असर पड़ेगा। लड़कियां अगर सेहदमंद होगी, अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो इससे उनके प्रति रुढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा। महिलाओं की जिम्मेदारी घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी। संभव है अब शादी के फैसलों में लड़कियों की राय को भी ज्यादा महत्व मिलेगा, जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है। अभी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार शादी कराने से पहले एक बार उसकी सहमति जरूर लेता है, लेकिन कम शिक्षित लड़कियों से उनकी राय नहीं पूछी जाती। ये वो फर्क है जो बेतुकी और शर्मनाक दलील देने वाले राजनेताओं और जनप्रतिनिधों को समझने की जरूरत है। ■■■

विखंडित होता पाकिस्तान

डॉ. नवीन कुमार मिश्र

14 अगस्त 1947 को धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन से पाकिस्तान के रूप में चार प्रांत-पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा -अस्तित्व में आये। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे 01 नवम्बर 2020 को अस्थायी प्रांत का दर्जा भी दे चुका है। वर्ष 1956 के पाकिस्तान के संविधान में यह इस्लामी गणतंत्र था तथा 1973 में नई बात जुड़ी कि सभी कानून कुरान के अनुसार बनाए जाएंगे। भारतीय संस्कृति की विरासत की बात कहीं पर नहीं थी। अपने इस्लामिक राष्ट्र के पहचान को बनाने के लिए उर्दू को अपनी भाषा के रूप अपनाकर हजारों वर्षों की बलूचों, सिंधियों, पश्तूनों की भाषा व संस्कृतियों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जो एक राष्ट्र के रूप में अपनी अस्मिता के साथ स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी प्रकार पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बंगालियों की भाषा व संस्कृति का दमन करना शुरू कर दिया था तथा बंगाली भाषा के स्थान पर उर्दू थोपने की कोशिश की थी। परन्तु वर्ष 1971 में भारत ने बंगाली अस्मिता की रक्षा करते हुए बांग्लादेश को एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दक्षिणएशिया की भू-राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया,जो अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है तथा इस वर्ष 2021 में अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है।

बलूचों की अपनी विशिष्ट सभ्यता और संस्कृति है। उनकी अपनी बलूची भाषा है, जिसको मिटाने के लिये पाकिस्तान ने जबरन उर्दू को थोपा, जो संघर्ष का प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत के विभाजन से पूर्व 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और बलूचों की भाषा व संस्कृति को नष्ट करने लगे। किल एंड डम्प नीति के तहत बलूचों की कब्रे मिलने लगी, जो अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा के लिए एक

राष्ट्र के रूप में अलग होना चाहते है। बलूचिस्तान मुक्ति आंदोलन को सफल बनाने के लिए बलूच राष्ट्रवादियों ने संघर्षों की शृंखला वर्ष 1948, 1958, और 1962 में की और 1970 के दशक से बलूच राष्ट्रवाद में सशक्त उभार आया। आज हर एक बलूची का सपना बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है।

मुहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से लेकर भारत विभाजन की सर्वाधिक त्रासदी झेलने वाले सिंधियों ने कभी अपनी पहचान नहीं खोने दी। परन्तु पाकिस्तानी सेना व सरकार द्वारा सिंधी बहू-बेटियों का अपहरण व जबरन मतांतरण किये जाने तथा भाषा के रूप में उर्दू को थोपे जाने से पहचान का संकट पैदा हो गया, जिसके विरोध में वर्ष 1967 से सिंधु देश की मांग शुरू हुई। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद सिंधी नेता जी एम सैयद ने 'जिए सिंध तहरीक' संगठन बनाकर

सिंधु की स्वतंत्रता की मांग शुरू की। 17 जनवरी 2021 को जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर 'जिये सिंध मुत्ताहिदा महाज' नाम के संगठन ने 'सिंध को पाकिस्तान से आजादी चाहिए' नाम से एक विशाल रैली की तथा सिंधियों ने आजादी के नारे लगाए और कहा कि सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। इस पर पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और फिर आजादी के समय पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया।

पश्तूनों की भाषा पश्तो है, जो अपनी आदिवासी आचार संहिता पश्तून वाली की मर्यादा में जीवन व्यतीत करते है। टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को खत्म करने के पीछे की मनसा पश्तूनों की भाषा व संस्कृति को नष्ट करने की रही है, जिसके लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्याओं का क्रम चलता रहा है। इसके विरोध में वर्ष 2014 में मंजूर अहमद पश्तीन ने पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) की शुरुआत की तथा डूरंड रेखा के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के एकीकरण की बात की। इसके साथ ही सांस्कृतिक रूप से एक कहे जाने वाले तथा पाकिस्तान का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर रह रहे पश्तून और बलूच समुदाय को मिलाकर ग्रेटर अफगानिस्तान की मांग कर पाकिस्तान के विघटन की आधारशिला रख दी।

वैदिक काल में शारदा पीठ अध्ययन का प्रमुख केंद्र था तथा खुद की शारदा लिपि विकसित थी, परन्तु आज पीओके पाकिस्तान के अत्याचार, शोषण व उपेक्षा से बदहाल है। जुलाई 2021 में पीओके में हुये चुनाव में धांधली के विरोध में पीओके की नीलम घाटी में उग्र प्रदर्शन हुए, पाकिस्तानी झण्डा भी जलाया गया। 'पाकिस्तान मुर्दाबाद', 'ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है', 'पीओके मांगे आजादी' जैसे नारे लगे है। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आजादी के लिए पिछले 74वर्षों से पीओके में संघर्ष जारी है और वे भारत में शामिल होना चाहते है। इसी प्रकार पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के साथ अन्याय किया। नादर्न एरिया के नाम से गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तानी संविधान का हिस्सा कभी नहीं रहा बल्कि 'मिनिस्टरी आफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित-बाल्टिस्तान' नाम का एक विशेष मंत्रालय है जिस पर पाकिस्तानी सेना व आईएसआई का कब्जा है। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के साथ ही जो लोग मुखर होते है उनका दमन कर दिया जाता है। इसलिए ये पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ बेहतर अपना भविष्य देख रहे है।

पश्तूनों की भाषा पश्तो है, जो अपनी आदिवासी आचार संहिता पश्तून वाली की मर्यादा में जीवन व्यतीत करते है। टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को खत्म करने के पीछे की मनसा पश्तूनों की भाषा व संस्कृति को नष्ट करने की रही है, जिसके लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्याओं का क्रम चलता रहा है। इसके विरोध में वर्ष 2014 में मंजूर अहमद पश्तीन ने पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) की शुरुआत की तथा डूरंड रेखा के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के एकीकरण की बात की।

मूलभूत सुविधाओं के नाम पर विकास सिर्फ पंजाब में हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान का पर्याय बना हुआ है। बलूच, सिंधी व पश्तूनों के संसाधनों को लूट कर पंजाब व पंजाबी संस्कृति को चमकाया जा रहा है। परन्तु देश रक्तपात और सेना द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते। सरकार के ऊपर की सरकार पाकिस्तानी सेना है, जो आतंकवाद का जनक, पोशक व निर्यातक है। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने विकास के नाम पर सिर्फ आतंकवाद का ही विकास किया है। छद्म इस्लामिक राष्ट्रीयता के कारण आज पाकिस्तान की भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान का संकट गहरा हो चुका है, जिससे वह आर्थिक व भौगोलिक रूप से एक विघटित राज्य के रूप में दिखने लगा है। अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा के लिए स्वतंत्र राष्ट्र का सपना संजोए सिंधी, बलूच और पश्तून आंदोलित है और बांग्लादेश की तरहउनके भी सफल होने तथा भू-राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीद की जानी चाहिए। ■■■

ललित गर्ग

इक्कीसवीं सदी के इक्कीसवें वर्ष को अलविदा कहते हुए नए वर्ष का स्वागत हम इस सोच और संकल्प के साथ करें कि हमें कुछ नया करना है, नया बनना है, नये पदचिह्न स्थापित करने हैं। बीते वर्ष की कोरोना महामारी के अलावा मौसमी आपदाओं, आर्थिक असंतुलन, राजनीतिक उठापटक, बर्फीले तूफान, समुद्री चक्रवात, बाढ़ और जंगलों के राख होने एवं धरती के तापमान के बढ़ने की पीड़ाओं, दर्द एवं प्रकोप पर नजर रखते हुए उन पर नियंत्रण पाने का संकल्प लेना है। हमें यह संकल्प करना और शपथ लेनी है कि आने वाले वर्ष में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे उद्देश्यों, उम्मीदों, उमंगों और आदर्शों पर प्रश्नचिह्न लगा दे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी ओमीक्रोन की आहट के बीच हमें नये साल में अपनी जीवनशैली को नया रंग और आकार देना है।

कोरोना महामारी ने हमारे जीने के तौर-तरीकों को अस्तव्यस्त कर दिया है। नववर्ष का स्वागत करते हुए हमारे द्वारा यह कामना करना अस्वाभाविक नहीं थी कि हमारे नष्ट हो गये आदर्श एवं संतुलित जीवन के गौरव को हम फिर से प्राप्त करेंगे और फिर एक बार हमारी जीवन-शैली में पूर्ण भारतीयता का सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होगा। किंतु कोरोना के जटिल दौर के बीतने एवं नये साल की अगवानी पर हालात का जायजा लें, तो हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन में जीवन-मूल्य, आर्थिक स्थितियां, व्यापार, रोजगार एवं कार्यक्षमताएं खंड-खंड दृष्टिगोचर होते हैं। कोरोना ने इस दौरान समूची इंसानियत को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया में अब तक 27 करोड़, 65 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 54 लाख को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत में भी यह आंकड़ा पांच लाख की ओर बढ़ चला है। भारत इस त्रासदी का शिकार होने वाले शीर्ष पांच देशों में गिना जाता है। कोरोना से न केवल लोगों की जान गई, बल्कि बड़ी संख्या में लोग बदहाली के शिकार भी हुए। हालांकि, इस दौरान सुकून की बात यह रही कि केंद्र और राज्य सरकारों ने महामारी से लड़ने में कोई कोताही नहीं बरती। भारत में बने दो टीकों ने लोगों को इस प्राणलेवा आपदा से निपटने का सामर्थ्य प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के कारण 16 जनवरी से अब तक एक अरब, 40 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। यही नहीं, आर्थिक विकास दर वापस लौटाने के लिए भी भगीरथी प्रयास हुए, पर महामारी के घाव को भरने में एवं ओमीक्रोन को परास्त करने में काफी समय लगेगा।

बीते वर्ष में आर्थिक असंतुलन के कड़वे घूंट पीने को मजबूर होना पड़ा है। इस दौरान भारत में आर्थिक विषमता की खाई और चौड़ी होती चली गई। भारत में देश की कुल आमदनी का 57 फीसदी हिस्सा शीर्ष 10 फीसदी लोगों की जेबों में गया। आधी आबादी के हिस्से में सिर्फ 13 प्रतिशत कमाई आई। गरीबी की रेखा को मिटाने के जो प्रयत्न पूर्व में हुए, वे पुन: विपन्नता की अंधी खोह में समा गए हैं। दुनिया के गरीब मुल्कों को बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़नी होगी। आने वाले साल यकीनी तौर आर्थिक राष्ट्रवाद के होने वाले हैं।

अब ओमीक्रोन के खतरे को नजरअंदाज न करते हुए सरकार और समाज, दोनों इससे जूझने के लिए कमर कस चुके हैं, पर परिणाम कब आएंगे, कितने आएंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। अभी तो यह भी अज्ञात है कि ओमीक्रोन कितना घातक साबित होने वाला है। सावधानी एवं सतर्कता बहुत जरूरी है, सरकार हर व्यक्ति के जीवन को उन्नत, निरोगी एवं समृद्ध बनाना चाहती है, लेकिन उन्नति उस दिन अवरुद्ध होनी शुरु हो जाती है जिस दिन हम अपनी कमियों एवं त्रुटियों पर ध्यान देना बन्द कर देते हैं। यह स्थिति आदमी से ऐसे-ऐसे काम करवाती है, जो आगे चलकर उसी के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। रही-सही कसर पूरी कर देती है हमारी त्रुटिपूर्ण जीवनशैली। असंतुलित जीवन है तो आदमी सकारात्मक चिंतन कर नहीं सकता। विचारणीय बात यह है कि किस उद्देश्य से जीवन जीया जाए? यह प्रश्न हर व्यक्ति के सामने होना चाहिए कि मैं क्यों जी रहा हूं? जीवन के उद्देश्य पर विचार करेंगे तो एक नई सचाई सामने आएगी और जीवन की शैली का प्रश्न भी सामने आएगा।

संकट कोरोना महामारी का ही नहीं है, और भी संकट बहुत हैं। चीन एवं पाकिस्तान सीमाओं पर अशांति एवं युद्ध की स्थितियों को बनाये हुए हैं। भारत में सिर्फ चीन से आए कोरोना वायरस ने ही हमला नहीं किया, उसकी फौजों ने भी मर्यादा तोड़ने एवं सीमाएं लांघने की कोशिशें की। पिछले साल गलवान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 21 सूरमा शहीद हुए थे। वर्ष 2021 में सीमा पर दोबारा खून तो नहीं बहा, लेकिन अभूतपूर्व एवं संकटपूर्ण तनातनी का सिलसिला जारी रहा। अपना दायरा लांघने की चीन की कोशिश पर क्या अगले साल लगाम लगाई जा सकेगी? यही नहीं, अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी भी भारत के लिये एक संकट है। केन्द्र सरकार के मजबूत इरादों के चलते भले ही भारत और पाकिस्तान की तनातनी बड़े संघर्ष का आकार न ले पाई हो, पर 2021 में सीमा पार से आए हुए गोले और गोलियां अब तक 35 से अधिक जवानों को निगल चुके हैं। इस साल पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन भी चिंता का सबब बने। कश्मीर को एक बार फिर अशांत करने एवं वहां आतंकवादी गतिविधियां का बढ़ना चिन्ता का सबब बना है। देश के गृह मंत्रालय और कश्मीर की हुकूमत ने मिलकर लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया।

कोरोना महामारी ने हमारे जीने के तौर-तरीकों को अस्त-व्यस्त कर दिया है। नववर्ष का स्वागत करते हुए हमारे द्वारा यह कामना करना अस्वाभाविक नहीं थी कि हमारे नष्ट हो गये आदर्श एवं संतुलित जीवन के गौरव को हम फिर से प्राप्त करेंगे और फिर एक बार हमारी जीवन-शैली में पूर्ण भारतीयता का सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होगा। किंतु कोरोना के जटिल दौर के बीतने एवं नये साल की अगवानी पर हालात का जायजा लें, तो हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन में जीवन-मूल्य, आर्थिक स्थितियां, व्यापार, रोजगार एवं कार्यक्षमताएं खंड-खंड दृष्टिगोचर होते हैं।

हिंसा, आतंक एवं युद्ध की स्थितियों के बीच भारत ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्थान एवं उन्नयन की अपूर्व परिवेश भी निर्मित किया गया, भारत के गौरव को पुन:स्थापित करने की अनूठी पहल हुई है। गत वर्ष अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के साथ इसी माह वाराणसी में विश्वनाथ धाम परिसर का लोकार्पण भारत की राजनीतिक सोच को एक नया आयाम एवं दृष्टि देने का विशिष्ट उपक्रम कहा जा सकता है। हमारे देश की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएं और आदर्श जीवन-मूल्य समृद्ध एवं सुदृढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्व सरकारों ने उनके गौरव को राजनीतिक नजरिया देते हुए धूमिल किया है। लेकिन नये राजनीतिक सोच एवं सत्ता ने भारत को अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक वैभव से दुनिया को आकर्षित किया है, जो बीत वर्ष की सुखद घटना कही जा सकती है। निश्चित रूप से काशी एवं अयोध्या राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर ये सशक्त भारत का आधार बनेगे। इससे न सिर्फ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी, बल्कि संकीर्ण दायरों में सिकुड़ते गए एक आस्था और सभ्यता के प्रतीक को भी गरिमा प्राप्त होगी। काशी परिसर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भव्य एवं शालीन तरीके से करते हुए प्रत्येक भारत को स्व-आस्था, स्व-संस्कृति एवं स्व-अस्तित्व का अहसास कराया है। भारत का सांस्कृतिक वैभव दुनिया में बेजोड़ रहा है, लेकिन तथाकथित राजनीतिक स्वार्थों एवं संकीर्णताओं के चलते इस वैभव को दुनिया के सामने लाने की बजाय उसे विस्मृत करने की कुचेष्टाएं एवं षड़यंत्र लगातार होते रहे हैं। सुखद स्थिति है कि अब हमारी जागती आंखो से देखे गये स्वप्नों को आकार देने का विश्वास जागा है तो इससे जीवन मूल्यों एवं सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने का माहौल एवं मंशा देखने को मिल रही है, जो नये वर्ष के लिये शुभ है, नये एवं समृद्ध भारत के अभ्युदय का द्योतक है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नयी व्यवस्था के बनने से नारी जीवन में एक नया उजाला होगा। एक मंजिल, एक दिशा और एक रास्ता, फिर भी स्त्री और पुरुष के जीवन में अनेक असमानताएं रही हैं, समाज की दो शक्तियां आगे-पीछे चल रही थी। इस तरह की विसंगतियों एवं असमानताओं को दूर करने के लिये सोच के दरवाजे पर कई बार दस्तक हुई, लेकिन दरवाजा पहली बार खुला है। बीत वर्ष ने एक अकल्पनीय घाव भी दिया है, 8 दिसंबर को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 12 सहयोगियों के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हो गए। वह नई जरूरतों के मुताबिक भारतीय सेना को नया रूप-रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उनकी दुखद मृत्यु इस महत्वाकांक्षी, लेकिन अनिवार्य आवश्यकता के लिए गहरा आघात है। इन हर्ष एवं विषाद की मिली-जुली स्थितियों के बीच बस, वही संवेदनात्मक क्षण जीवन का सार्थक है जिसे हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं और वही जागती आंखों का सच है जिसे पाना हमारा मकसद है। सच और संवेदना की यह संपत्ति ही नए वर्ष में हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। ■■■

बिना एकीकृत स्वास्थ्य के महामारियां चुनौती देती रहेंगी

शोभा शुक्ला और बॉबी रमाकांत

कोविड महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अर्थ-व्यवस्था और विकास के सभी संकेतकों के लिए सबकी-स्वास्थ्य-सुरक्षा कितनी जरूरी है। वैज्ञानिक रूप से तो यह पहले से ही ज्ञात था कि एकीकृत स्वास्थ्य कितना अहम है। मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में सम्बंध भी गहरा रहा है जिसका एक प्रमाण है बढ़ती हुई दवा प्रतिरोधकता। मानव स्वास्थ्य, पशु पालन, कृषि में गैर-जिम्मेदारी और अनुचित ढंग से इस्तेमाल हो रही दवाएं (खासकर कि एंटी-बायआटिक, एंटी-वाइरल, एंटी-फंगल और एंटी-पैरासिटिक दवाएं) पर्यावरण में भी जहर घोल रही हैं जिसके कारणवश रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु रोग-प्रतिरोधक हो जाते हैं और सामान्य रोग भी लाइलाज हो सकते हैं।

इसीलिए पिछले अनेक सालों से यह समझ विकसित हुई है कि मात्र रोग नियंत्रण से रोग नियंत्रित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, टुबर्क्युलोसिस या टीबी का ख तरा अनेक कारणों से बढ़ता है जैसे कि कुपोषण। जब तक कुपोषण और टीबी का ख़तरा बढ़ाने वाले सभी कारण नहीं मिटेंगे, और रोग की जांच, इलाज और देखभाल सब तक नहीं पहुंचेगी तब तक टीबी उन्मूलन कैसे होगा? टीबी नियंत्रण के समक्ष, दवा प्रतिरोधकता भी एक भीषण चुनौती बनी हुई है। अन्य रोग जैसे कि मधुमेह, एचआईवी संक्रमण, आदि जो टीबी का खतरा बढ़ाते हैं, उनको टीबी नियंत्रण में नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। टीबी पशुओं को भी हो जाती है। लोग अस्पताल जा सकें, बिना विलम्ब अपना इलाज करवा सकें, आदि, के लिए एकीकृत स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा अत्यंत अहम है।

कोरोना वाइरस मूल रूप से एक प्रकार के चमगादड़ से आया है पर यह नहीं ज्ञात है कि मनुष्य को संक्रमण कहां से आया है। वर्ल्ड ऑर्गनिजेशन फोर ऐनिमल हेल्थ (पशु स्वास्थ्य की वैश्विक संस्था) के डॉ रोनेलो अबिला ने कहा कि मनुष्य में होने वाली 60 प्रतिशत संक्रामक रोग मूल रूप से पशुओं से आए हैं (और इनमें से 72प्रतिशत जंगली जीव जंतु से आए हैं)। मनुष्य और पशुओं के मध्य सम्पर्क रहा है और अक्सर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में पशु स्वास्थ्य के पहलू पर ध्यान दिया जाए। चूंकि पर्यावरण से पशु और मानव दोनों जुड़ें हैं इसलिए इस दृष्टिकोण को भी नजरंदाज न किया जाए।

यदि भविष्य में होने वाली महामारियों का खतरा कम करना है और ऐसी चुनौती के लिए बेहतर तैयार रहना है तो स्वास्थ्य सुरक्षा को विकास और सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण से जोड़ कर समझना होगा। सबके लिए एकीकृत स्वास्थ्य और विकास सुरक्षा के सपने को सच करना होगा।

यदि मनुष्य जल-जंगल-जमीन पर विध्वंसकारी गतिविधियां जारी रखेगा, जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा या दवाओं का लापरवाही से दुरुपयोग करेगा तो मानव स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे मिलेगी?

मानव स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए तो प्रदूषण, वनों की कटाई, पशु पालन में अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना दवाओं का उपयोग, और हम कैसे भोजन उगाते, बांटते और ग्रहण करते हैं, पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि हम सबका स्वास्थ्य इन पर भी निर्भर है।

कोरोना वाइरस, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य

कोविड महामारी ने एक सीख तो पुन: दी है कि पशुओं में होने वाले रोग भविष्य में भी इंसानों में फैल सकते हैं। कोविड, जीका, ईबोला, आदि रोगों के बाद यदि अब भी सरकारों ने एकीकृत स्वास्थ्य पर कार्य नहीं किया तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के साथ तालमेल में कार्यसाधकता के साथ कार्य करना होगा।

इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व निदेशक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व अधिकारी डॉ. तीजांदरा योगा आदितमा ने कहा कि 29 देशों में 400 से अधिक विभिन्न प्रकार के पशु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें बिल्ली, कुत्ते, शेर, बब्बर शेर, गोरिल्ला, हिरन, मिंक, आदि शामिल हैं। संभवत: इन पशुओं को कोरोना संक्रमण, संक्रमित मनुष्य से हुआ होगा जो इनके सम्पर्क में आया हो या इनकी देखरेख में रहा हो, परंतु यह अभी नहीं पता है कि इन कोरोना संक्रमित पशुओं से क्या इंसान संक्रमित हो सकते हैं?

डॉ रोनेलो अबिला ने कहा कि कोरोना वाइरस मूल रूप से तो एक प्रकार के चमगादड़ से आया पर यह वैज्ञानिक रूप से ज्ञात नहीं है कि मनुष्य को कोरोना संक्रमण किस तरह हुआ और किस जीव से आया। 2003 में एक प्रकार का कोरोना वाइरस जिससे 'सार्स' महामारी हुई थी, वह संक्रमण, सिवेट चमगादड़ से मनुष्य में आया था।

यह प्रक्रिया बढ़ती गयी और आखिरकार, मानव स्वास्थ्य पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संस्था-विश्व स्वास्थ्य संगठन, पशु स्वास्थ्य पर केंद्रित-वर्ल्ड ऑर्गनिजेशन फोर ऐनिमल हेल्थ, और खाद्य और कृषि पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की संस्था-फूड एंड ऐग्रिकल्चर ऑर्गनिजेशन, तीनों ने एकीकृत स्वास्थ्य पर कार्य करने के लिए एक साझा मंच बनाया-जिसकी औपचारिकता मई 2018 में और गहराई। नवम्बर 2020 में इस साझा मंच से संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संस्था-यूनाइटेड नेशंस इन्वायरॉन्मेंट प्रोग्राम-भी जुड़ गयी।

कोविड महामारी के नौ साल पहले, नवम्बर 2011 में, मेक्सिको में सम्पन्न हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उपरोक्त संस्थाओं के विशेषज्ञों ने निर्णय लिया था कि एकीकृत स्वास्थ्य की अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए, तीन मुद्दों पर कार्य किया जाए। यह तीन मुद्दे थे: रेबीज, दवा प्रतिरोधकता (एंटी-मायफोबीयल रेजिस्टन्स), और बर्ड फ्लू।

इसके बाद, डॉ रोनेलो और अन्य लोगों ने स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के साथ कार्य शुरू किया कि वह एकजुट हो कर एकीकृत स्वास्थ्य (मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण) पर विचार करें और साझा काम शुरू करें जिससे कि रेबीज, दवा प्रतिरोधकता और बर्ड फ्लू पर अंकुश लगे।

दवाओं का अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग सिर्फ मानव स्वास्थ्य तक ही नहीं सीमित है बल्कि पशुपालन और कृषि में भी इसका अत्याधिक दुरुपयोग है जिसके कारणवश आज बढ़ती हुई दवा प्रतिरोधकता एक भीषण चुनौती प्रस्तुत कर रही है। यदि दवा प्रतिरोधकता पर अंकुश नहीं लगा तो यह ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि हम लोग 1920 के दशक के युग में फिसल जाएं जब अधिकांश लोग संक्रामक रोगों से मृत होते थे क्योंकि एंटीबाइयोटिक दवाओं थी ही नहीं। दवा प्रतिरोधकता के कारण, आम संक्रमण जिनका पक्का इलाज सम्भव है, वह लाइलाज हो जाते हैं और मृत्यु तक हो सकती है।

कोरोना वाइरस मूल रूप से एक प्रकार के चमगादड़ से आया है पर यह नहीं ज्ञात है कि मनुष्य को संक्रमण कहां से आया है। वर्ल्ड ऑर्गनिजेशन फोर ऐनिमल हेल्थ (पशु स्वास्थ्य की वैश्विक संस्था) के डॉ रोनेलो अबिला ने कहा कि मनुष्य में होने वाली 60प्रतिशत संक्रामक रोग मूल रूप से पशुओं से आए हैं (और इनमें से 72प्रतिशत जंगली जीव जंतु से आए हैं)। मनुष्य और पशुओं के मध्य सम्पर्क रहा है और अक्सर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में पशु स्वास्थ्य के पहलू पर ध्यान दिया जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक दवा प्रतिरोधकता नियंत्रण विभाग के निदेशक डॉ हेलिसस गेटाहुन ने सिटिजन न्यूज़ सर्विस (सीएनएस) से कहा कि दवा प्रतिरोधकता एक मानव जनित समस्या है क्योंकि दवाओं का अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग, मानव ने ही, मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और कृषि में किया है। यदि हम दवाओं का उचित और जम्मिदारी से उपयोग करेंगे तो दवा प्रतिरोधकता कम होगी और उससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा।

चीन की एक पुरानी कहावत है कि 'पेड़ लगाने का सबसे सर्वोत्तम समय 20 साल पहले था। दूसरा मौका आज है'। सबके एकीकृत स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को अब नजरअन्दाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है और सभी सरकारों को सतत विकास लक्ष्य पर भी असफल करेगा। ■■■

गुजरात में प्राकृतिक खेती की मुहिम को दिया बल

गुजरात सरकार ने डांग जिले को सम्पूर्ण प्राकृतिक कृषि आधारित जिला घोषित करके 'आपणु डांग- प्राकृतिक डांग' जन अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में डांग के आदिवासी किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित किया और कहा कि आदिवासी डांग जिला प्राकृतिक कृषि को लेकर समग्र देश के लिए प्रेरणा बनेगा।

मीनाक्षी शर्मा

भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और कृषि इसका सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि आज भी तकरीबन 50 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। केंद्र सरकार कृषि और किसानों के लिए कई कदम उठा रही है। गत 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान देश के सभी किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों के इस्तेमाल को कम करने की सीख देते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'हमें बीज से लेकर मिट्टी तक सभी प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके खेती को प्राकृतिक बनाना होगा जिससे उत्पादन अधिक और रसायनों पर हो रहा खर्च कम हो सके।' उनका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है जिसके लिए केंद्र सरकार जीरो बजट फार्मिंग के प्रचार के लिए एक कमेटी गठित करेगी।

प्रधानमंत्री की इस सीख को गुजरात बखूबी अपना आ रहा है। गुजरात ने देश के आर्थिक रथ के मजबूत पहिये, कृषि और किसान के लिए नित नई पहल करने का प्रयास किया है। गुजरात सरकार, विशेषकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों के बीच प्राकृतिक खेती की जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। इससे पहले भी हरियाणा और हिमाचल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हजारों किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने वहां की जमीन पर रसायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझा और उसके विकल्प के रूप में जैविक खेती करनी शुरू की।

शुरुआती दौर में इतनी सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने रसायनों के जहर से मुक्त खेती करने की ठान ली थी इसलिए उन्होंने कई कृषि वैज्ञानिकों से इस पर बात की। आखिरकार दो-तीन प्रयासों के बाद उन्हें इस कोशिश में सफलता मिली। आचार्य देवव्रत ने रसायनिक, जैविक और प्राकृतिक, तीनों तरह की खेती की है लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि जैविक खेती का इतना प्रचार होने के बावजूद वह इतनी सफल नहीं है लेकिन प्राकृतिक खेती का इतना प्रचार नहीं हुआ फिर भी वह अधिक सफल हो रही है।

इसके पीछे यह वजह थी कि जैविक खेती में किसान को बहुत अधिक मात्रा में गाय का गोबर और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 150 क्विंटल वर्मीकंपोस्ट तैयार करने में ही कई महीने लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती में ऐसी बाधाएं नहीं आती। इसकी खाद बनाने के लिए किसान को गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड और चने का आटा चाहिए होता है। प्राकृतिक खेती में खाद के लिए जीवामृत का इस्तेमाल होता है। ये सारा सामान आपको अपनी रसोई में ही मिल जाता है और किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता।

प्राकृतिक खेती से ना केवल भूमि की उर्वरता बढ़ती है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद, कम्पोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र किट और जैविक कीटनाशक द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। यह खेती किसानों के लिए इसलिए फायदेमंद होती है क्योंकि किसानों की पैदावार का आधा हिस्सा कीटनाशक और कैमिकल्स के छिड़काव में ही चला जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में किसान की कमाई बच जाएगी और गुणकारी सब्जियां पैदा होंगी। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती किसान की कमाई, मिट्टी के उपजाऊपन और मनुष्यों की सेहत के लिए अच्छी होती है।

केंद्र सरकार आने वाले समय के लिए जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग के विजन को प्रचारित कर रही है। नीति आयोग के मुताबिक इस वक्त देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल के कई इलाकों में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है। गुजरात का डांग देश का पहला जिला है जिसे 100 प्रतिशत प्राकृतिक खेती जिला घोषित किया गया है। डांग में कम से कम 200,000 किसान प्राकृतिक खेती करते हैं।

डांग को पेस्टिसाइड से पूरी तरह मुक्त करने के लिए गुजरात सरकार ने करोड़ रुपए की सहायता राशि किसान परिवारों में वितरित करने की घोषणा की है जिसके तहत 7 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। पिछले साल भी गुजरात सरकार ने उन किसानों को 900 रुपए प्रति महीना की सहायता राशि प्रदान की थी जिन्होंने गाय आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाया।

केंद्र सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जीरो बजट प्राकृतिक खेती नामक एक सब स्कीम चला रही है जिसका नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। इसके तहत प्राकृतिक खेती के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मदद दी जा रही है। यह राशि किसानों को खेत को पूरी तरह से जैविक बनाने, उनके क्लस्टर निर्माण क्षमता निर्माण के लिए दिया जाता है।

केंद्र सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जीरो बजट प्राकृतिक खेती नामक एक सब स्कीम चला रही है जिसका नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) है। इसके तहत प्राकृतिक खेती के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मदद दी जा रही है। यह राशि किसानों को खेत को पूरी तरह से जैविक बनाने, उनके क्लस्टर निर्माण क्षमता निर्माण के लिए दिया जाता है। केंद्र के विजन को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार भी प्राकृतिक कृषि के लिए बहुत काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल स्वयं प्राकृतिक खेती के पैरोकार हैं। उनका कहना है 'हमारी फूड चेन में यूरिया और पेस्टिसाइड जैसे जहरीले पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं लेकिन प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाला शुद्ध एवं सात्विक खाना सबके लिए अच्छा होगा'।

गुजरात में इस बार होने वाले वैश्विक वाइब्रेंट सम्मेलन में भी कृषि क्षेत्र पर बल दिया जाएगा। इस समिट से पहले ही कृषि क्षेत्र के लिए निवेशकों ने 2350 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके लिए आमान्या ऑर्गेनिक ने 150 किलोलीटर रोजाना इथेनॉल उत्पादन प्लांट के लिए 192 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। गांधीनगर में एग्री प्रोड्यूस ग्रीन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़, डीएपीएस इन्फ्रा का 150 किलोलीटर क्षमता के प्लांट के लिए 192 करोड़ के एमओयू आदि शामिल हैं। प्राकृतिक खेती, कृषि का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो 21वीं सदी की भारतीय कृषि के कायाकल्प करने में मददगार साबित होगा।

नगरों पर गहराता जल संकट

कृष्ण गोपाल व्यास

अनुमान है कि सन 2050 तक भारत की नगरीय आबादी लगभग 80 करोड़ हो जावेगी। इस जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव वैसे तो प्रत्येक सेक्टर पर पड़ेगा लेकिन जो प्रभाव पीने के साफ पानी की मांग, उपलब्धता और वितरण पर पड़ेगा, वह, आज की तुलना में बहुत अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण होगा। पेयजल की इस चुनौती को अनेक घटक तय करते हैं पर जो घटक सबसे अधिक असर डालेंगे, वे हैं - साफ पानी की 365 दिन उपलब्धता, उपलब्ध पानी का संग्रह, उसका प्रबंधन और वितरण।

अनुभव बताता है कि नगरीय जल प्रदाय की गंभीर होती चुनौती का स्थान विशेष की औसत बरसात से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए अच्छी-खासी बरसात के बावजूद चेरापूंजी प्यासा है। इसी क्रम में कहा जा सकता है कि गाद जमाव के कारण, नगर को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों की लगातार घटती जल क्षमता भी, अस्त होते सूरज की रोशनी की तरह बहुत भरोसेमंद नहीं रहेगी। नदियों के नान-मानसूनी प्रवाह पर निर्भर जलापूर्ति भी भविष्य में, गंभीर प्रश्नचिन्ह खडे कर सकती है। यही संभावना रुफ-वाटर हार्वेस्टिंग (छत के पानी को जमीन में उतारने) को लेकर हो सकती है क्योंकि लगभग 20 साल पहले रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का शानदार रिकॉर्ड बनाने वाला चैन्नई भी, अब, गर्मियों में सुरक्षित या आत्मनिर्भर नहीं है। भारत का आईटी हब कहा जाने वाला बेंगलुरु भी शुद्ध पानी की बढ़ती कमी से रुबरु है। हालिया अध्ययन इंगित कर रहे हैं कि यह चुनौती हिमालय के दार्जिलिंग जैसे नगरों में जहां, अच्छी - खासी बारिश होती है, इलाका बारहमासी नदियों तथा झरनों का मायका रहा है, के लिए भी कम त्रासद नहीं होगी।

इस अध्ययन का एक पक्ष यह भी है कि भारत का दक्षिणी भूभाग और पश्चिमी राजस्थान, जहां बारिश अपेक्षाकृत कम होती है और जहां नदियों का नान-मानसून प्रवाह

GOU UDAY
Vedic
Let's connect
with our nature

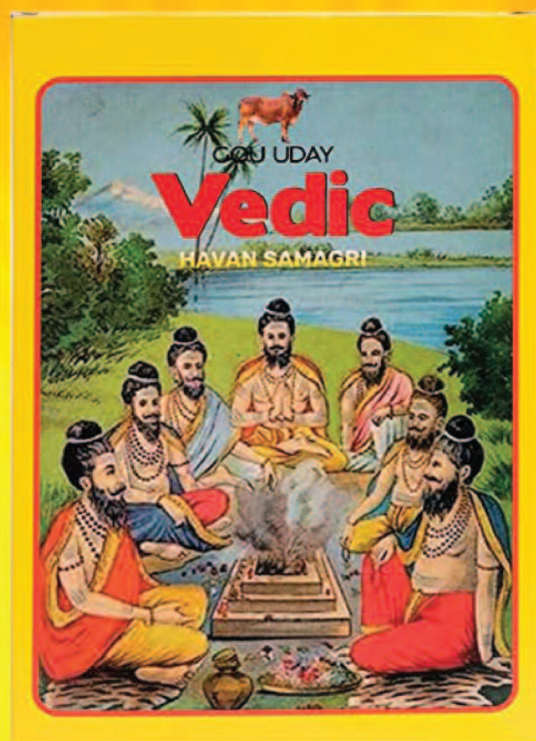

HAVAN SAMAGRI

Everybody is Now Living a Chemical-Free Lifestyle

GOU UDAY NATURALS PVT. LTD.
E-mail: Onlinegouuday@gmail.com
Customer Care No, :+918287940401

भरोसेमन्द नही रहा है, में हालात, और अधिक त्रासद हो जावें। उल्लेखनीय है कि अत्याधिक दोहन के कारण, नगरीय भूजल भंडार भी गर्मी के मौसम में बौने सिद्ध हो रहे हैं। उपर्युक्त मुख्य बिन्दुओं की रोशनी में गहराते नगरीय पेय जल संकट को हल करने के लिए बेहतर तरीके से प्रयासों और उनके परिणामों को समझने की आवश्यकता है लेकिन एक बात जो आईने की तरह साफ है – वह है, केवल धन और मौजूदा रणनीति के आधार पर नगरीय जलसंकट का हल खोजना बेहद कठिन होगा।

गौरतलब है कि नगरीय इलाकों में जल प्रदाय, मुख्यत: बाहरी स्रोत (नदी और एक या एक से अधिक जलाशयों) पर निर्भर होता है। शहरी आबादी का एक हिस्सा नगरीय जल प्रदाय व्यवस्था के साथ-साथ अपने निजी बोरवेल से पानी लेकर अपनी अतिरिक्त या आकस्मिक आवश्यकता पूरी करता है। बोरवेल मात्र पूरक व्यवस्था है।

भूजल दोहन तथा आबादी के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के लगातार बढ़ने के कारण, धरती के नीचे के पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगातार कम हो रही है। इस कारण, अनेक बोरवेल, समयपूर्व सूखने लगे हैं। यह हकीकत, अनेक नगरों में नजर आने लगी है। इसके अलावा, अनेक जगह पानी में हानिकारक रसायन मिलने लगे हैं। इस कारण, जलशोधन व्यय बढ़ रहा है लेकिन एक बात साफ है कि बिना पर्याप्त पानी, बिना उचित प्रबन्ध तथा बिना टिकाऊ उपलब्धता के किसी भी शहर या महानगर का जल संकट दूर नही हो सकता। पानी की उपलब्धता के आंकड़े इंगित करते हैं कि भारत के जल संकट का सम्बन्ध बरसात पानी के संचय के आप्रासंगिक माडल और सूखे दिनों में उसकी कमी को दूर नहीं कर पाने की रणनीति के कारण है।

अनेक जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, नगरों में, पानी की मांग में बेतहाशा वृद्धि होगी। प्रदूषण के बढ़ने के कारण, शुद्ध पानी मिलना और कठिन हो जावेगा। इस कष्ट से मुक्ति के लिये पानी की अतिरिक्त समानुपातिक क्षमता निर्मित करने की आवश्यकता होगी लेकिन क्षमता निर्मित करना और अन्तिम ठौर तक पानी उपलब्ध कराना, दो अलग बातें हैं। यही यक्ष प्रश्न है।

अब कुछ बात समय की कसौटी पर मौजूदा विकल्पों की विश्वसनीयता की। उनके सतत परिमार्जन की। बिन्दु और भी हो सकते हैं लेकिन हम अपनी बात उल्लिखित बिन्दुओं

तक सीमित रखेंगे। उसके बाद कुछ विचारों की पैरवी करेंगे।

सभी जानते हैं कि महानगरों में पक्के निर्माण कार्यों तथा सडकों के नेटवर्क के कारण खुली जगह की कमी होती है। इस कमी के कारण बरसात के मौसम में कुदरती भूजल रीचार्ज के लिए खुली जगह की उपलब्धता कम हो जाती है। इस अनुक्रम में, कुछ लोगों का मानना है

भूजल दोहन तथा आबादी के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के लगातार बढ़ने के कारण, धरती के नीचे के पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगातार कम हो रही है। इस कारण, अनेक बोरवेल, समयपूर्व सूखने लगे हैं। यह हकीकत, अनेक नगरों में नजर आने लगी है। इसके अलावा, अनेक जगह पानी में हानिकारक रसायन मिलने लगे हैं। इस कारण, जलशोधन व्यय बढ़ रहा है लेकिन एक बात साफ है कि बिना पर्याप्त पानी, बिना उचित प्रबन्ध तथा बिना टिकाऊ उपलब्धता के किसी भी शहर या महानगर का जल संकट दूर नही हो सकता।

कि यदि महानगरों में बरसात के दिनों में रूफ-वाटर हार्वेस्टिंग को अपना लिया जाए तो पानी का संकट हल हो सकता है। लेकिन नगरों की बेतहाशा बढ़ती आबादी और जमीन में रिसे पानी के डायनेमिक चरित्र तथा कालान्तर में एक्वीफरों के अपारगम्य हो जाने के कारण यह विकल्प कारगर नहीं होगा। चेन्नई का उदाहरण सिद्ध करता है कि समय की कसौटी पर यह विकल्प विश्वसनीय नहीं है।

यह सही है कि कुदरती ताकतों से लड़ना संभव नहीं है। उनसे समन्वय संभव है। एक बात हमें याद रखना होगा कि नगरों में जल प्रदाय की चुनौती, ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत अधिक कठिन और जटिल है। एक प्रयास संभव है। वह प्रयास है बरसात के दिनों में छत के पानी को धरती में उतारने के स्थान पर हर पक्के घर पर भूमिगत टांकों में पानी संचित करना। उसे निरापद बनाए रखने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करना। जिस प्रकार राजस्थान के कम बरसात वाले इलाकों में समाज ने पीने का पानी जमा किया था और आत्मनिर्भरता हासिल की थी, लगता है उसे अपनाने का समय आ गया है।

महानगरों को रूफ-वाटर हार्वेस्टिंग के स्थान पर प्रत्येक घर में पक्के टांके के विकल्प के साथ-साथ अन्य टिकाऊ तथा निरापद विकल्पों को अपनाना होगा। अन्य विकल्पों में नगर के सभी उद्यानों तथा अन्य खुले स्थानों का कुछ हिस्सा तालाब के लिए आरक्षित करना उचित होगा। संचित पानी को प्रदूषण से मुक्त रखना होगा।

अनेक नगरों में नगरपालिकाओं द्वारा एक या एक से अधिक जलाशयों से जल प्रदाय किया जाता है। कुछ नगरों में जलाशयों के अलावा, नदियों से पानी उठाकर जलप्रदाय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है। इस व्यवस्था को विश्वसनीय माना जाता है इसलिए सबसे पहले बात उनकी विश्वसनीयता की। जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात का चरित्र बदलेगा। बरसात की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन उसकी सकल मात्रा का बदलाव लक्ष्मण रेखा के अन्दर रह सकता है पर बरसात की तीव्रता बढ़ने के कारण गाद की समस्या बढ़ेगी। उसके उचित निपटान पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जलाशय में जल संचय घटेगा। उसके बाद अगला विचारणीय बिन्दु है – गर्मी के महिनों का नदियों में बहने वाला प्रवाह। सभी जानते हैं कि यह प्रवाह लगातार घट रहा है और पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। यह अच्छा संकेत नहीं है। इसे सुलझाने की आवश्यकता है। अर्थात नदियों के नान-मानसूनी प्रवाह को बहाल करने की आवश्यकता है।

अन्त में, नगरीय जल संकट का हल निजी क्षेत्र की भागीदारी से संभव नही है, क्योंकि यह स्पष्ट होने लगा है कि कीमतों पर बाजार अधिक प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रण रखता है। अनेक बार, नियम कायदे, रेगुलेटरी अथारिटी और अपीलें भी बाजार के गठजोड़ का पूरी तरह प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए, नगरीय प्रदाय व्यवस्था के लिए जनोन्मुखी मानवीय ढांचा ही आवश्यक है। उसे अपनाना होगा।

साभार: hindi.indiawaterportal.org

राष्ट्रीय गौ-सेवा समृद्धि संवर्धन परिवार
ऊं श्री सुरभ्यै नमः
आईये अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से
केवल मात्र 1 रूपया गौ-माता को दान करें एवं गौ-संवर्धन यज्ञ से जुड़ें।
रुपया
1
RUPEE
1970
चलो सखी उस देश को, जहां बसैं गोविंद गोपाल।
गौचरावत कृष्ण मिलें, सखी एक पंथ दो काज।।
भारतीय संस्कृति की धरोहर और पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान गौ-माता का ही है।
गौ-माता के संरक्षण में योगदान करें। मां, ममता, मातृभूमि और मर्यादा का प्रतीक गौ-माता
सदैव वंदनीय है। आपकी छोटी सी आहुति गौ-रक्षा महायज्ञ में विशाल परिवर्तन लाएगी।
उदय इंडिया नॉलेज ट्री गौ वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (रजि.)
Account Name : Uday India Knowledge Tree
Bank : ICICI Bank
Branch : I.P. Extension, Delhi
Account no- 072105000978,IFSC - ICIC0000721
Website : www.udayindiaknowledgetree.in
Paytm
9868127884

रंजना मिश्रा

लॉकडाउन के बाद से भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसमें बच्चों के साथ-साथ बड़े भी शामिल हैं। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या करीब 26 करोड़ 90 लाख थी, वर्ष 2020 में ये संख्या बढ़कर करीब 36 करोड़ 50 लाख हो गई। अनुमान है कि वर्ष 2022 में लगभग 55 करोड़ से ज्यादा की आबादी यानी लगभग आधी आबादी ऑनलाइन गेम्स खेलने में व्यस्त होगी।

कुछ वर्षों पहले जब इंटरनेट की इतनी उपलब्धता नहीं थी, बच्चे पार्कों में जाकर दोस्तों के साथ क्रिकेट, हॉकी, खो-खो, कबड्डी आदि आउटडोर गेम खेला करते थे। जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, लेकिन धीरे-धीरे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का दौर बढ़ता गया, इंटरनेट भी सस्ता हो गया और कई ऑनलाइन गेम्स और उनकी ऐप्स आ जाने से बच्चों का रुझान आउटडोर और इनडोर गेमों से हटकर इन वर्चुअल गेमों की ओर बढ़ गया। हमारे देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं में ऑनलाइन गेम खेलने की प्रवृत्ति अब इस कदर बढ़ती जा रही है कि ये एक महामारी का रूप लेती जा रही है। इसके शिकार लोग चौबीसों घंटे बिना रुके ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं। आज हर हाथ में मोबाइल है, इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर वर्चुअल वर्ल्ड में ही खोए रहना चाहते हैं और बाहरी दुनिया से वे अक्सर कटे रहते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम्स में रंग-बिरंगी थीम और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल-पल बढ़ता रोमांच बच्चों के दिलोदिमाग पर हावी हो रहा है, गेम खेलने की ये लत धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अवसाद में बदल जाती है। भारत में 23 वर्ष तक के 88 प्रतिशत युवा समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं। शौक के लिए या समय बिताने के लिए कुछ देर को ऑनलाइन गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तो तब पैदा होती है जब ये एक बुरी आदत बन जाती है, जिसे गेमिंग एडिक्शन कहते हैं। ये समस्या आज भारत के हर राज्य, हर शहर में फैलती जा रही है और करोड़ों मां-बाप अपने बच्चों की इस लत से बहुत परेशान हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलने से हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है क्योंकि ये गेम अक्सर हिंसक घटनाओं से भरे होते हैं। ऑनलाइन गेम की दुनिया ही बिल्कुल अलग है उसमें मरने-मारने की बातें होती हैं, युद्ध होते हैं, बच्चों के हाथों में बंदूकें और टैंक्स होते हैं। कुल मिलाकर ये गेम बच्चों और युवाओं में हिंसक प्रवृति को बढ़ा रहे हैं।

लॉकडाउन के बाद से भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसमें बच्चों के साथ-साथ बड़े भी शामिल हैं। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या करीब 26 करोड़ 90 लाख थी, वर्ष 2020 में ये संख्या बढ़कर करीब 36 करोड़ 50 लाख हो गई। अनुमान है कि वर्ष 2022 में लगभग 55 करोड़ से ज्यादा की आबादी यानी लगभग आधी आबादी ऑनलाइन गेम्स खेलने में व्यस्त होगी। 2016 में भारत में ऑनलाइन गेम का बाजार लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का था, जो अब सात से दस हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। हर साल ये 18 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि अगले साल तक ये लगभग 29 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। लगभग 46 प्रतिशत गेमर्स जीतने के लिए या इसकी एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने के लिए पैसे भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। बहुत से ऑनलाइन गेम्स में पैसा कमाने का विकल्प भी होता है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे फुलटाइम जॉब की तरह अपना लिया है। समय बिताने और शौक के लिए खेला जाने वाला गेम अब जुए और सट्टेबाजी में बदलता जा रहा है। ये गेम ऑफ स्किल न रहकर गेम ऑफ चांस बन गये है। भारत के लोग अब 1 दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहे हैं। पहले ये औसत 151 मिनट था। वर्ष 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब इसके शुरुआती कुछ महीनों में भारत में 700 करोड़ से ज्यादा बार ऑनलाइन गेम्स अलग-अलग डिजिटल डिवाइस पर इनस्टॉल किए गए थे। बच्चे, किशोर और युवा सभी आउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स खेलना छोड़कर, ऑनलाइन गेम्स में व्यस्त हो गए हैं। जीतने की होड़ में बच्चे लगातार डिवाइस से चिपके रहते हैं और इस खेल में कब घंटों बीत जाते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता, यहीं से शुरू होता है गेमिंग एडिक्शन। ये लत बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी जरूरी काम करने से रोकती है। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65 प्रतिशत बच्चों ने माना था कि वो इसके लिए खाना और नींद छोड़ने को भी तैयार हैं और बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अपने माता-पिता का पैसा भी चोरी करने को तैयार हैं। गेमिंग एडिक्शन की ये समस्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर छह में से एक बच्चे ने माना था कि गेम खेलने के लिए उन्होंने माता-पिता का पैसा चोरी किया है इसके लिए ज्यादातर बच्चों ने अपने माता-पिता के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उन्हें बिना बताए इस्तेमाल किया था। यहीं से बच्चों में चोरी की बुरी आदत पड़नी शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे करके ये उनके चरित्र और भविष्य को चौपट कर देती है। कुछ ऑनलाइन गेम्स फ्री होते हैं, कुछ में पैसा देना होता है। बच्चे अगला स्टेप पार करने के लिए अभिभावकों की जमा पूंजी से चोरी करते हैं। कई गेम्स जीतने पर रिवॉर्ड भी मिलता है, इससे लालच बढ़ता जाता है। हार जाने पर डूबा पैसा वापस पाने की जिद होती है। बच्चे लगातार झूठ बोलने और लोन लेने जैसी आदतों के शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स जरूरत से ज्यादा खेलने से बच्चों के मन-मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वे चिड़चिड़े और हिंसक बन रहे हैं। माता-पिता और रिश्तेदारों से बात करने की बजाय वे इसी आभासी दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 15 प्रतिशत गेमर्स इसकी लत के शिकार हो जाते हैं और मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जिन्हें समय पर पहचान लेना बहुत जरूरी है जैसे, गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, आंखों और कलाइयों में दर्द होना, सिर में दर्द, नींद कम आना, न खेल पाने पर चिड़चिड़ापन आदि, इसके अलावा खीज, भूलने की बीमारी, निराशा, टेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर गेम्स खेलने के कारण मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सहित अन्य शारीरिक समस्याएं भी बच्चों और युवाओं में देखी गई हैं।

ऑनलाइन मोबाइल गेम अब बच्चों के लिए केवल मनोरंजन न होकर उनके दिल, दिमाग और जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हफ्ते में दो से तीन बार 20 मिनट से लेकर एक या दो घंटे खेलने में समस्या नहीं पैदा होती, लेकिन यदि वर्चुअल वर्ल्ड बच्चे की दुनिया ही बन जाए तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और अभिभावकों को इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए। माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेहतर कामों में लगाएं, उनके साथ खेलें, बातें करें, उन्हें अपने जीवन के रोचक अनुभव सुनाएं, अच्छी और शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने को प्रेरित करें, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को प्रेरित करें, घर के छोटे-मोटे कामों में उनकी मदद लें। इस सबसे बच्चे वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलेंगे और उन्हें वास्तविक दुनिया में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

ऑनलाइन गेम्स के उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये उद्योग टैक्स भी चुकाता है। अब तो ऑनलाइन गेम्स को दुनिया भर में मुख्य खेलों में भी शामिल किया जाने लगा है। 2022 के एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे। ओलंपिक कमेटी भी ई स्पोर्ट्स को मान्यता दे चुकी है। इसलिए इस उद्योग पर पूरी तरह से प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो ऑनलाइन गेम्स लोगों में जुए की लत लगाते हैं, उन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक करें और स्वयं भी जागरूक बनें तभी हमारी युवा पीढ़ी इसका सही उपयोग कर पाएगी और भटकने से बचेगी।

हमारे देश में सबसे अधिक युवाओं की संख्या है। जिन युवाओं को मेहनत करके परिवार, देश और समाज को आगे ले जाना है, वो आज ऑनलाइन गेम खेल कर समय बर्बाद कर रहे हैं। ये लत इतनी बुरी होती जा रही है कि आए दिन कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपराध तक कर रहे हैं। कोविड के दौरान स्कूल-कॉलेज बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई का दौर बढ़ा है, इसलिए अब हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है। किंतु पढ़ाई से ज्यादा वो इनका उपयोग ऑनलाइन गेम खेलने में करते हैं, जो बहुत ही घातक होता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारे देश की युवा पीढ़ी बुराई और बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। ■■■

VaYU
Vivekananda Yoga University

World's First Yoga University Outside INDIA Los Angeles, USA

MASTERS IN YOGA FROM USA

Vivekananda Yoga University (VaYU) is the **world's first Yoga university outside of India** focused on Graduate Yoga Education and Research. VaYU is located in **Los Angeles, California, USA.**

ONLINE MASTER OF SCIENCE (YOGA) PROGRAM

VAYU FACULTY HAS

611 Years combined research & teaching experience
1,608 Master Theses completed since 2004
2,553 Students trained in yoga
103 Ph.D. Theses guided

All VaYU Online MS (Yoga) graduates receive

- Yoga Instructor Certificate (YIC) from SVYASA
- Registered Yoga Teacher (RYT-200) from Yoga Alliance
- Eligibility for C-IAYT Certificate of Intl. Assoc. of Yoga Therapists
- Graduates will have to additionally complete a 4-week clinical training for C-IAYT

SEMESTERS & COURSES
- 4 Semesters
- 10 Core Courses + Specialization*
- 30 Credits

OTHER TAKEAWAYS
- Weekly 90 Minute Faculty Interactions per Subject
- 1 Week of Residential Classes per Academic Year

*Specialization includes Yoga Philosophy, Yoga Therapy or Yoga Research

CONTACT
Email us: apply2@vayuusa.org
Call us: +1 (424) 777-9930 (USA) +91 87628 02326 (India)

Spring 2022 Classes will commence on January 18, 2022

मेक इन इंडिया
स्वच्छ भारत

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
उत्कृष्टता के प्रति कृतसंकल्प

1957 से भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हुए

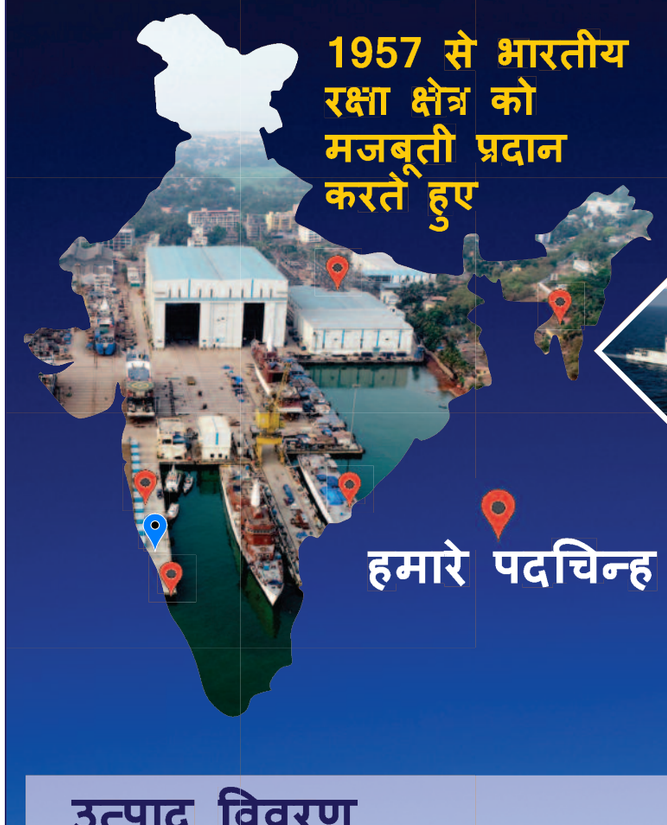

हमारे पदचिन्ह

उत्पाद विवरण

2021
एयरो इंडिया
3-5 फ़रवरी, 2021
एयर फ़ोर्स स्टेशन, यलहंका
बैंगलुरु

प्रमाणन

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय का उत्कृष्ट निष्पादित शिपयार्ड)

संपर्क करें :- fpg_office@goashipyard.com, contactus@goashipyard.com
www.goashipyard.in goashipyardltd GoaShipyardLtd

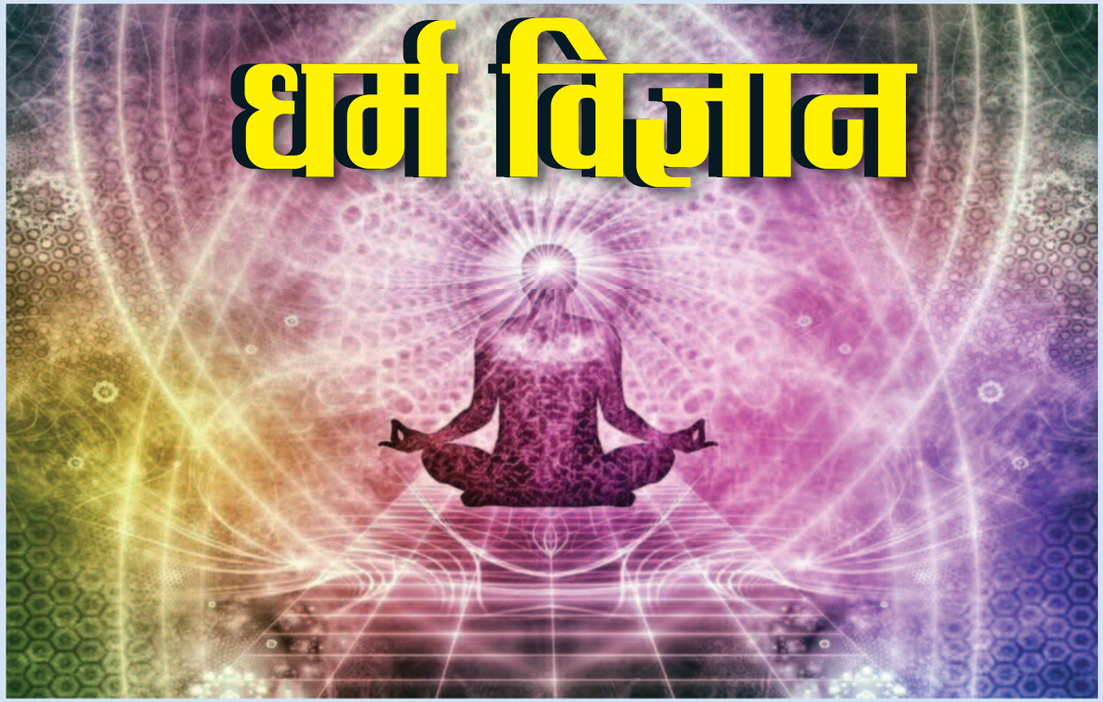

धर्म यदि धन, धरती व्यक्ति समाज पर अतिक्रमण करने लगे तो वह अधर्म बन जाता है। आज दुनिया के लगभग सभी धर्म इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस दुनिया के विनाष और पतन का मूल कारण धर्म तंत्र ही बनने जा रहा है। अत: अगला विश्व युद्ध जल, जमीन, जंगल व अन्न आदि के लिए नहीं होगा बल्कि धर्म के नाम पर ही होगा।

पहले धर्म धारणा और धर्म सेवा का एक ही मापदंड निर्धारित था कि व्यक्ति तप करे। अक्षरज्ञान ज्ञान का परिचय मात्र होता है यथार्थ ज्ञान तो आत्मबोध और आत्म अनुभूति से प्राप्त होता है।

अत: ऋषि आत्मा आत्म अनुभूति के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अर्जित कर ज्ञानदान किया करते थे, इस प्रकार धर्म सेवा ही उत्तम कार्य था। आज ऐसा नहीं हैं, धर्म सेवा व धर्म कार्य करने के लिए पहले आध्यात्मिक फाइव स्टार आश्रम बनाना पड़ता है। फिर अलग से एक पंथ खड़ा करना पड़ता है।

फिर समता, एकता की बात करते हुए विभेदता के आधार पर अपने द्वारा निर्मित धर्म व्यवस्था का प्रचार किया जाता है। ऐसा करने के लिए धर्म को सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए धर्म को औद्योगिकीकरण और अपराधीकरण किया जाता है। इसीलिए आज कई संतो को सलाखों के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है।

इस प्रकार धर्म के दो आधार हैं :

पहला परमात्मा के द्वार बनाई गई धर्म व्यवस्था

और दूसरा मानव निर्मित धर्म व्यवस्था

परमात्मा की धर्म व्यवस्था के अंतर्गत वेद, यज्ञाग्नि, और गाय के सम्मान का विशेष महत्व होता है।

मानव की धर्म व्यवस्था में – कई मत, पंथ संस्था और गुरुवाद का थोक व्यापार चलते है। इसके अंतर्गत धर्म को एक प्रोजेक्ट कंपनी के रूप में विकसित कर पल्लवित एवं पुष्पित किया जाता है। जहां व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भगवान और भक्ति को पसंद करते हैं। फिर उस धर्म व्यवस्था का अनुसरण करते हुए धर्म प्रचार करते हैं।

पहले धर्म का विस्तार गाय से हुआ करता था, आज धर्म का विस्तार व्यक्तिवाद, धन, व्यापार और विवाद से होता है। हिन्दू धर्म पूजा पद्धति में गत भिन्नता एवं उसका परिणाम – वैदिक काल में हम प्रकृति और प्राणी जगत के पुजारी थे, तत्पश्चात् पौराणिक युग व्यवस्था के अंतर्गत मूर्ति पूजा पर आ गये, वर्तमान समय में व्यक्ति पूजा प्रधान बन गया है।

1. व्यक्ति पूजा से धर्म के अंतर्गत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है जिससे समाज में धार्मिक विभेद उत्पन्न होता है। धर्म कुंठित हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति पूजा को अधर्म कहा गया है।

2. तांत्रिक पूजा - तमोगुण है– इससे धर्म के अंर्तगत हिंसा, हत्या और विनाश की प्रवृति उत्पन्न होती है। जिसे देवपूजा के नाम पर असुर पूज कहा जाता है। जिसके अंतर्गत धर्म विकृत हो जाता है।

3. मूर्ति पूजा - रूप, रंग, श्रृंगार, शोभा, भोग–भव्यता आदि व्यवस्था मूर्ति पूजा में सम्मिलित किया गया है। जो रजोगुण से संबंधित है, इसीलिए मूर्ति पूजा को रजोगुण कहा गया है।

4. वेद, यज्ञाग्नि, सूर्यदेव और गौमाता की पूजा को – सतोगुण कहा गया है। यह चारों मिलकर प्रकृति और प्राणी जगत को धारण करता हैं। एवं सृजन की शक्ति प्रदान करता है। अत: इन चारों पूजा पद्धतियों में सतोगुण प्रधान वेद, यज्ञाग्नि सूर्य देव और गौमाता की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

साभार : गौ संहिता

खुशहाल जीवन के लिए सात्विकता

रमेश कुमार

खुशहाल जीवन के लिए सात्विकता यानी सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक कर्म प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

सात्विक भोजन क्या है?

सात्विक भोजन वह है जो आयु बढ़ाता है, यह प्राकृतिक है, शक्तिदायक है, ऊर्जावान है, खाने में आनंददायक है, और सकारात्मकता देता है। इसे देखने पर अच्छी भावनाएं जाग्रत होती हैं, इसमें नमी है, रसदार है, यह ताजा है।

उदाहरण- दूध, गाय का घी, सब्जी, फल, गुड़, गेहूं, जौ, चावल, और अधिकांश हरी सब्जियां और फल। मौसम अनुसार ताजे फल, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज और मेवे आदि।

पका हुआ खाना

खाने को पका कर खाने से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हुआ खाना विजातीय/विषैला हो जाता है। यह विषैला पदार्थ शरीर के अंगो में जम जाता है और उन अंगो का कार्य शिथिल कर देता है, और बिमारियों का जन्म होता है।

अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए/स्वाद के लिए पकाया हुआ खाना राजसिक खाना माना जाता है। इस खाने से शरीर रोगाणु होता है। जिह्वा पर जब नियंत्रण नहीं रहता तब इन्द्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रहता और मन की इच्छायें पनपती हैं। इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में द्वेष और क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन अशांत रहता है।

रेडीमेड खाना, पेय द्रव्य जैसे कोका कोला आदि, डिब्बा बंद खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, बासा खाना, तला हुआ खाना, चटपटा मसालेदार खाना, चॉकलेट, मिठाइयां आदि सभी राजसिक खाना कहलाते हैं।

हमें प्रेशर कुकर में पके हुए खाने के बजाय भाप द्वारा खाना बनाना चाहिए। भाप द्वारा बना खाना शीघ्र ही बन जाता है और समय की भी बचत होती है। यह खाना अधिक पौष्टिक भी होता है। भाप वाले खाने को तेल आदि में फ्राई करने की आवश्यकता नहीं, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा लहसुन, अदरक, जीरा आदि को थोड़े से सरसों के तेल में भून कर मिला लें। मिर्च, मसालों आदि से दूर रहें ।

तामसिक खाना (मांसाहारी भोजन) मनुष्य के लिए नहीं बना क्योंकि हमारी पाचन प्रणाली शाकाहारी खाना खाने के लिए ईश्वर ने डिजाइन की है। मांसाहारी खाना हिंसा कर के खाया जाता है, इसलिए उस के खाने से हिंसक मानसिक प्रकृति बन जाती है।

सात्विक विचार

सात्विक खाना खाने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा आती है और अच्छे विचार उदय होते हैं। मन शांत रहता है और शरीर में सकारात्मक सोच की उपज होती है। सकरात्मक सोच से शरीर में हैप्पी हार्मोन ज्यादा बनते है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बीमारियां दूर रहती हैं।

सात्विक कर्म

गीता में बताये हुए तीन प्रकार के कर्म सात्विक (जो अपने लिए नहीं समाज कल्याण के लिए किये जाएं), राजसिक (जो अपने स्वार्थ या अपनी इच्छापूर्ति के लिए किये गयें हों) अथवा तामसिक (जो किसी को नुक्सान दे कर किये गयें हों) हैं। आप को देखना होगा की कौन सा कर्म ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा सात्विक हो। हमेशा याद रखें।

जैसे कर्म नर करे, वैसे फल को पाय।
खायी खोदे अन्य हित, गिरे कूप में जाय।।

आप उसी मार्ग को चुने जिसमें सात्विक कर्म ज्यादा से ज्यादा हों। सात्विक खान-पान और सात्विक विचारधारा से विवेक, बुद्धि विकसित होती है और सात्विक कर्मों को करने की प्रेरणा स्वयं आ जाती है।

अक्सर लोग कहते हैं हम तो सदियों से पका हुआ खाना खा रहें हैं सात्विक भोजन की प्रणाली में कैसे आएं? इसके लिए आप धीरे-धीरे अपने को तैयार करें और पका हुआ खाना कम करें और कच्चा खाना जैसे सलाद, फल सब्जी का जूस, अंकुरित दाने, भाप की हुई दाल और सब्जियां लेनी शुरू करें। कुछ ही महीनों में आप सात्विक खाना खाने के अभ्यस्त हो जाएंगे और आप को सात्विक खाने का आनंद आना शुरू हो जायेगा और इसका जीवन में स्पष्ट फायदा नजर आने लगेगा। इस प्रकार सात्विकता में ही खुशहाली जीवन का रहस्य है, और सात्विकता अपनाये।

Relearn to breathe, to daydream, to smile at strangers,
to laugh with your loved ones. Relearn to live.
But be responsible while you are in Himachal.

Welcome to Himachal

Follow COVID-19 safety guidelines

- Wear mask properly
- Wash your hands with soap frequently & use hand sanitiser
- Maintain safe distance
- Use Aarogya Setu App

Department of Tourism & Civil Aviation, Block No 28, SDA Complex, Kasumpti, Shimla (H.P.).
Email: tourismmin-hp@nic.in ; Website : www.himachaltourism.gov.in
For accommodation and packages, visit :www.hptdc.in

@hp_tourism
himachaltourismofficial

QUANTUM

RNI NO. DELHIN/2013/49824 Postal Reg. No. DL(E)-11/5427/2019-2021
Licenced to dispatch on Monday and Tuesday of every advance week at KNHO, Delhi-110051
Licenced to post pre-payment, Licence No. U(E)-08/2019-2021 Published for the week of JANUARY 09-15, 2022

GOU UDAY

Vedic

Let's connect with our nature

COW DUNG DHOOP

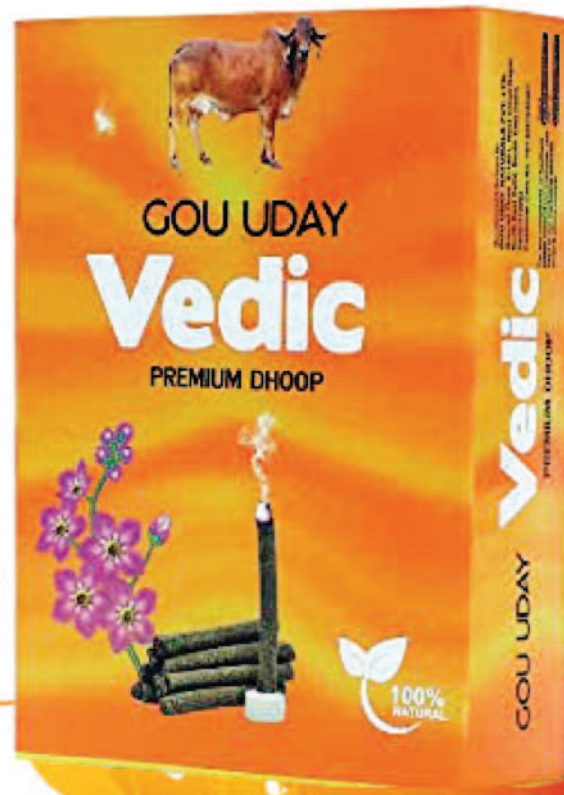

Enchriched with Cow Dung, Ghee, Sandal Powder, Comphor, Gau Ark, Guggle and Dry Neem Leaves.

Everybody is Now Living a Chemical-Free Lifestyle

GOU UDAY NATURALS PVT. LTD.
E-mail: Onlinegouuday@gmail.com
Customer Care No, :+918287940401